**वर्ष : 21 अंक : 4 (75वाँ अंक) अक्टुबर-दिसंबर, 2016**

**विचार**

**अनुक्रम**

**संपादकीय**

शिक्षा का अधिकार (राइट टू एज्युकेशन - आर.टी.आई.) के क्रियान्वयन का सशक्तिकरण

बुजुर्गों के रुके हुए पेंशन जारी करवाने के अनुभव

'समान नागरिक संहिता नहीं, बल्कि अधिकारों की समानता का क्रियान्वयन अधिक महत्वपूर्ण है?'

खेल-खेल में सिखाने वाले अनोखे शिक्षक: रमेश घारू

बेजवाड़ा विल्सन से साक्षात्कार

**गतिविधियाँ**

संपादकीय

क्या विकलांगों को उनके अधिकार मिलेंगे!

आखिर, एक लंबे इंतजार के बाद 'विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम -2016' संसद के शीतकालीन सत्र में पास हो ही गया। विकलांगों को 'चिकित्सा' या 'परोपकारी' दृष्टिकोण से देखने की बजाय, उन्हें सामाजिक और मानव अधिकारों के नजरिए से देखने वाले संयुक्त राष्ट्र के 'विकलांग व्यक्ति अधिकार' (यूएनसीआरपीडी) के बारे में 2007 के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत भी शामिल है। इसके अनुसार, विकलांगता से संबंधित कानूनों को ही नहीं, बल्कि देश के सभी मौजूदा कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को इस संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन के साथ संगत होना आवश्यक है। इस संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन के एक दशक बाद अब शुरूआत हो गयी है और विकलांग व्यक्ति अधिनियम -1995 के स्थान पर 'विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम -2016' को पास किया गया है। पुराने अधिनियम में उल्लेखित सात विकलांगताओं के स्थान पर नए अधिनियम में 21 विकलांगताओं को शामिल किया गया है, जिनमें एसिड हमले के शिकार, थेलसेमिया जैसी रक्त से संबंधित बीमारी, पार्किंसंस जैसे स्नायविक (न्यूरोलॉजिकल) रोग, वामनता के अलावा बधिरांधता (देख और सुन नहीं पाना) जैसी विविध विकलांगताओं को शामिल किया गया है। नए कानून के अनुसार, विकलांगता के कारण असमानता का व्यवहार करना, विकलांगता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करना, बहिष्कार और तिरस्कार करना, विकलांगता के आधार पर नियंत्रण रखना, दूसरों के जैसे ही मानक अपनाना, विकलांगों को जरूरी सहयोग प्रदान नहीं करना आदि शामिल हैं।

इस विधेयक की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: विधेयक के तहत, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, सरकारी सहायता और मान्यता प्राप्त सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में पांच प्रतिशत आरक्षण और सरकारी इकाइयों में विशिष्ट विकलांगताओं के लिए नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। सार्वभौमिक पहचान पत्र प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। यह पहचान पत्र देश भर में मान्य होगा। इसके साथ ही यह अवरोध मुक्त वातावरण बनायेगा। इस कानून के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान भी किया गया है। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करेंगे। लेकिन, इन लाभों की मात्रा अन्य लोगों के लिए इस प्रकार के लाभों की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक होनी चाहिए और गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं में पांच प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। सभी विकलांगों के लिए मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और सुरक्षा के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। विकलांग महिलाओं और बच्चों के लिए समान रूप से विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे आजीविका, बच्चे का पालन, भूमि आवंटन व आवास, स्वास्थ्य सेवाएं और बेरोजगारी भत्ता।

नए कानून में कई प्रगतिशील प्रावधानों के बावजूद, विकलांग व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तरह अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम हैं या नहीं यह एक गंभीर चिंता का विषय है। एक साल पहले वाली संसद की स्थाई समिति की सिफारिशों के साथ विधेयक का नया संस्करण चर्चा और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए नहीं रखा गया था। इस प्रकार, 'हमारे कल्याण के लिए हमें शामिल करना जरूरी' का नारा केवल कागज पर ही रह गया है। इसके अलावा, विकलांगों को आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा के लाभ और अधिकारों के उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही करने जैसे विकलांगता प्रावधानों के लाभ प्राप्त करने के लिए 40 प्रतिशत विकलांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। विकलांगता के प्रकारों में वृद्धि हुई है और 70 प्रतिशत से अधिक विकलांग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। शारीरिक सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय बाधाओं के कारण उन्हें घर के अंदर ही रहना पड़ता है। यहां सवाल यह है कि विकलांगता की सात श्रेणी के अनुसार, 22 साल बाद भी पूरे भारत में (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की 2015-2016 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार) चिकित्सा प्रमाण पत्र का दर सिर्फ 49.5 प्रतिशत है। केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारें नए कानून के लिए नियम बनाने में और कितना समय लेंगी? 21 प्रकार की विकलांगताओं को प्रमाणित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर किस प्रकार का ढांचा तैयार किया जाएगा? लाखों विकलांगों द्वारा अधिकारों और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रमाण पत्र उपलब्धता के लिए इन व्यक्तियों तक पहुँचने की किस प्रकार की व्यवस्था विकसित की जाएगी? विकलांग अपनी जरूरतों के लिए आवाज पहुंचा सकें, उसके लिए उनका सशक्तिकरण कब और कैसे किया जाएगा? निजी क्षेत्र को अपने कुल कर्मचारियों की संख्या का पांच प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र का आकार कम किया जा रहा है, फिर शिक्षित विकलांगों को रोजगार कैसे उपलब्ध करवाया जाएगा? इस तरह के अनेक सवाल उठ रहे हैं।

1995 के पीडब्ल्यूडी अधिनियम में उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान नहीं था, जबकि नए विधेयक में पहले उल्लंघन के लिए 10,000 रुपये और बाद में उल्लंघन के लिए 50,000 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के दंड का प्रावधान है। विशिष्ट विकलांगों का लाभ कोई गलत तरीके से लेगा और यह साबित हो जाएगा, तो उस व्यक्ति को दो साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। विकलांग व्यक्ति का जानबूझ कर निरादर करने, गालियां बकने, शारीरिक हानि, साधन-उपकरण छीन लेने, भोजन-पानी से वंचित रखने और विकलांग बच्चों व महिलाओं का यौन शोषण करने - विशेष रूप से विकलांग महिला का किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया और विकलांग महिला की सहमति के बिना गर्भपात करवाने पर 6 महीने से लेकर पांच साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। भारत में अन्य कानूनों की तरह ही इस कानून का कार्यान्वयन भी एक बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार, इस कानून को किस तारीख से लागू करेगी इस बारे में भी कोई घोषणा नहीं की गई है। समुदाय की मानसिकता और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक आबादी में विकलांग 15 प्रतिशत हैं। इसे देखते हुए, हमारे देश में विकलांगों की गणना करना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार, 1995 के अधिनियम के तहत सात प्रकारों में वर्गीकृत विकलांगों की संख्या सिर्फ दो प्रतिशत है, लेकिन अब विकलांगता के प्रकारों में वृद्धि के साथ इस संख्या के बढ़ने की पूरी-पूरी संभावना है।

2007 के संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में जो भावी स्थिति व्यक्त की गई है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन 'हमारे कल्याण के लिए हमें शामिल करना जरूरी' पर जोर देता है, तब केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को विकलांगों और उनके प्रतिनिधि संगठनों से परामर्श करके तत्काल इस कानून के नियम बनाने चाहिए।

शिक्षा का अधिकार (राइट टू ऐज्युकेशन - आर.टी.ई.) के क्रियान्वयन का सशक्तिकरण

"=xxÉÊiÉ' द्वारा कच्छ जिले की भचाऊ तहसील में 'शिक्षा के अधिकार' (आर.टी.ई.) के बारे में ग्राम स्तरीय अभियान आयोजित किया गया। यह अभियान 'अमेरिकन इंडिया फाउन्डेशन' (ए.आई.एफ.) के कार्यक्रम के तहत किया गया था। यह आलेख 'उन्नति' की गीता शर्मा और जयंत लायेक द्वारा तैयार किया गया है।

ग्राम स्तरीय अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में बुनियादी जानकारी

गुजरात में 85 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक स्कूलों और 15 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में जाते हैं। इसे देखते हुए गुजरात सरकार देश में अन्य राज्यों की तुलना में स्कूलों के बुनियादी ढांचे में काफी सुधार किया है। सुविधा में सुधार के बावजूद, बच्चों की शिक्षा का स्तर चिंता का विषय है। इसके अलावा, अधिकांश स्कूलों के कामकाज में समुदाय की भागीदारी बहुत कम है। अधिकांश लोग 'शिक्षा के अधिकार (आरटीई)' अधिनियम के मुख्य प्रावधानों से अनजान हैं, इस कारण वे स्कूल के कामकाज में अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पाते।

"=xxÉÊiÉ' ने 26 से 30 जुलाई 2016 के दौरान इस ग्राम स्तरीय अभियान का आयोजन गांव के नागरिकों और स्कूल प्रबंधन समिति - एसएमसी के सदस्यों को, सूचना और शिक्षा का अधिकार अधिनियम और उसके प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के लिए किया था।

अभियान की प्रक्रिया में मुख्य रूप से समग्र अभियान के दौरान विशेष रूप से वंचित समुदायों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया था। एकत्रित लोगों ने प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी। इस चर्चा में गांव के बच्चों की शिक्षा के स्तर पर सवालों के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान किया गया था। इस अभियान में 1001 लोगों (पुरुष-639, महिलाएं-362) ने सहभागिता निभाते हुए स्कूली शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अधिकांश स्कूलों में एसएमसी सक्रिय नहीं हैं या ऐसा कह सकते हैं कि एसएमसी को सक्रिय रखने के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। सरकार ने किसी भी एसएमसी सदस्य को कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया। प्रत्येक स्कूल में औपचारिकता के लिए एसएमसी का गठन किया गया है। एसएमसी के सदस्यों को स्कूल की गतिविधियों या प्रबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है। गांवों में यह बात फैली हुई है कि एसएमसी विशुद्ध रूप से शिक्षकों की जरूरत के अनुसार काम करने वाली समिति है, स्कूल के कामकाज में उसकी कोई प्राथमिक जिम्मेदारी या अधिकार नहीं है। एसएमसी सदस्यों की जिम्मेदारी उनके पास भेजे जाने वाले कागज-पत्रों पर हस्ताक्षर करने की है, बैठक में भाग लेने या लोगों को बैठक में भाग लेने के लिए बढ़ावा देनी की जिम्मेदारी नहीं है। स्कूल की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए एसएमसी या समुदाय द्वारा कोई मांग नहीं की जाती। स्कूल विकास योजना को भी सक्रिय रूप से समुदाय के सामने प्रस्तुत पेश नहीं किया जाता है।

लोग बच्चे को फेल नहीं करने की नीति के विरोधी हैं। उनकी राय में, बच्चों को परीक्षा का डर नहीं होने के कारण वे पढ़ाई में लापरवाही दिखाते हैं। क्योंकि बच्चों को पता है कि अगर वे पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो उन्हें कक्षा में रोका (फेल) नहीं जाएगा। शिक्षकों को भी इस नीति पर आपत्ति है। उनकी राय में, इस नीति का शिक्षकों के पढ़ाने के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शिक्षकों ने समुदाय के समक्ष 'पास' कर देने की नीति की गलत व्याख्या की है। सरकार की इस नीति का उद्देश्य समुदाय के साथ सीधा संपर्क रखने वाले शिक्षकों को उचित तरीके से नहीं बताया गया। इस कारण से इस नीति का विरोध हो रहा है।

लोगों को सतत निगरानी और मूल्यांकन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लोगों को स्कूल के स्तर पर किए जाने वाले आंकलन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए स्कूल और सरकारी प्रशासन ने कोई प्रयास नहीं किया है। स्कूलों में नियमित रूप से परीक्षा ली जाती हैं और बच्चों को अपने अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर करवा कर लाने के लिए उत्तर पुस्तिकाएं दी जाती हैं। हस्ताक्षर करते समय माता-पिता परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के बारे में पूछे बिना हस्ताक्षर कर देते हैं। समुदाय को सतत निगरानी और मूल्यांकन की रूपरेखा के बारे में नहीं बताया जाता और इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती कि उनके बच्चों को किस तरह ग्रेड दिया गया है या उनके शैक्षिक निष्पादन का मूल्यांकन कैसे किया है।

रेबारी और कोली समुदाय के बच्चों की स्कूली में अनियमितता अभी भी एक बड़ी समस्या है। इन समुदायों के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण वे शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते। वे परिवार के लिए आजीविका कमाने में व्यस्त रहते हैं और इस काम में बच्चों को भी लगा दिया जाता है। बच्चे अपने माता-पिता के साथ बाल श्रमिक के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा, इन समुदायों के बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली पीढ़ी होने के कारण परिवार में भी पढ़ाई के बारे में अनुकूल वातावरण नहीं होता है। इस प्रकार, बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी एकमात्र शिक्षकों की ही रहती है। माता-पिता के साथ बातचीत के दौरान यह पता चला कि वे अनपढ़ हैं और रोजी-रोटी कमाने में व्यस्त रहने के कारण अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते। इस प्रकार, बच्चों की शिक्षा की समग्र जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है। इसके अलावा, माता-पिता की ऐसी सोच रहती है कि उनके बच्चे कितना भी पढ़ लें, अंतत: वे अमीर समुदायों के मजदूरों के रूप में ही काम करेंगे, इसीलिए माता-पिता बच्चों की शिक्षा को गंभीरता से नहीं लेते।

स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक नहीं हैं, यह भी बच्चों की शिक्षा के लिए एक चिंता का विषय है। कई स्कूलों में कम्प्युटर दिया जाता है, लेकिन कम्प्युटर का उचित उपयोग नहीं होता। खासकर कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों ने आज तक कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया। कंप्यूटर विज्ञान के लिए अलग से शिक्षक नहीं होने के कारण यह विषय पढ़ाया ही नहीं जाता। इस समस्या पर विचार-विमर्श करते समय शिक्षकों ने सरकारी व्यवस्था और अभिभावकों ने शिक्षकों को दोषी ठहराया।

अधिकांश बच्चे, विशेष रूप से गरीब और वंचित समुदायों की लड़कियां आठवीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अभी भी शिक्षा बुनियादी आवश्यकता नहीं है। रबारी और कोली समुदाय के लोग अभी भी बुनियादी शिक्षा प्राप्त किए बिना अभाव ग्रस्त जीवन बिता रहे हैं।

समस्या का समाधान

स्कूल के कामकाज में 'सामुदायिक भागीदारी' शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण उपाय है। 'आरटीई' अधिनियम के अनुसार, स्कूलों का प्रबंधन समुदाय द्वारा होना चाहिए। स्कूल को भागीदारी पद्धति से चलाने के लिए सरकार ने एसएमसी को विशेष अधिकार दिए हैं। स्कूल के मुद्दों पर सामूहिक कार्रवाई करने के लिए शिक्षकों और समुदायों के बीच की खाई पाटना आवश्यक है। हाल ही में पता चला है कि गांव की स्कूलें एक अलग संस्था के रूप में कार्य कर रही हैं, स्कूल में क्या हो रहा है, लोगों को कुछ पता नहीं है। शिक्षकों में भी स्कूल के मुद्दों पर समुदाय से चर्चा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

इससे ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है कि सरकारी शिक्षक समुदाय को स्कूल के प्रबंधन में शामिल करना ही नहीं चाहते। वे यह चाहते हैं कि स्कूल की सभी गतिविधियां उन्हीं के ही नियंत्रण में रहें। एसएमसी का गठन भी भागीदारी के आधार पर नहीं होता। अधिकांश मामलों में, एसएमसी में ऐसे सदस्यों को शामिल किया जाता है, जो शिक्षकों से मतभेद नहीं रखें। इसके अलावा, अधिकांश सदस्य शिक्षकों के शुभचिंतक ही होते हैं। इन दिनों निजीकरण एक बड़ा मुद्दा है। जो माता-पिता अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेज सकते हैं, वे सरकारी स्कूल का कामकाज बेहतर करने में कोई भूमिका निभाने में रुचि नहीं लेते। इसके विपरीत, जिनके पास सरकारी स्कूल के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वे भी स्कूल का कामकाज बेहतर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। इस कारण उनके बच्चों को निचले स्तर की शिक्षा मिलती है।

प्राथमिक शिक्षा की निम्न गुणवत्ता के कारण उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में बच्चे विफल हो जाते हैं। नतीजतन, ऐसी मान्यता बन जाती है कि शिक्षा उनके बस के बाहर की बात है या बच्चे को बीच में ही स्कूल छुड़वा दिया जाता है या वह स्कूल में अनियमित रहने लगता है। अध्ययनों से पता चलता है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा ऐसा चरण होता है, जिस दौरान बच्चे का मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है। इसलिए, बच्चे के मानसिक विकास का आधार प्रारम्भिक शिक्षा पर निर्भर रहता है। यह चरण बच्चे के पूरे जीवन भर के लिए शिक्षा का चरण बन जाता है। इसलिए, इस चरण को बाल विकास के लिए महत्वपूर्ण बनाने के प्रयास किए गए हैं।

इस अभियान में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया गया। इसके आधार पर, सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय कई नागरिकों से संपर्क हुआ और भविष्य में ये नागरिक इन मुद्दों के हल के लिए काम करेंगे। महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल भेजने और उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने का दायित्व उठा रही हैं। लोगों को अपने मुद्दे उठाने के लिए विभिन्न मंचों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के बारे में भी उन्हें जानकारी प्रदान की गई, ताकि वे योजनाओं के द्वारा अपने बच्चों के अधिकारों की मांग कर सकें। स्कूल में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इन मंचों द्वारा एसएमसी की बैठकों और ग्राम सभा में भाग लेकर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

समुदाय को दी गई सूचना की जानकारी

**स्कूल प्रवेश**

1. हर साल वृद्धि (स्कूल के अनुसार)

2. क्या शाला प्रवेशोत्सव जैसी पहल के परिणामस्वरूप स्कूल में प्रवेश पर जोर दिया गया है?

3. सात साल से अधिक के जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें स्कूल में पढ़ाई के लिए लाना अभी भी चुनौतीपूर्ण है।

4. वर्ष 2006 में 6 से 14 साल के बीच के हर 100 बच्चों में से करीब 6 बच्चे स्कूल प्रवेश से वंचित रहे थे, 2014 में यह अनुपात प्रति 100 बच्चों पर 3 था।

5. निजी स्कूल में प्रवेश: 2006 में 100 में से 5 बच्चों को निजी स्कूल में प्रवेश, 2014 में यह अनुपात हर 100 बच्चों में 13 हुआ ।

**जन्म प्रमाण पत्र/उम्र का सबूत**

1. बच्चे की उम्र के सबूत के लिए लिए जन्म प्रमाण पत्र के साथ अन्य दस्तावेज। स्कूल में प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेजः (1) एएनएम पंजीकरण रजिस्टर रिकॉर्ड (2) आंगनवाड़ी रिकॉर्ड (3) बच्चे के माता-पिता या बच्चे के अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु के बारे में बयान

2. उम्र का साक्ष्य नहीं होने की स्थिति में भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा और इसके साथ आयु के उचित दस्तावेज प्राप्त कर लिए जाएंगे।

**शैक्षणिक सत्र की शुरूआत के बाद प्रवेश**

1. बच्चे को स्कूल में प्रवेश मिलना उसका मूल अधिकार है, किसी भी समय उसके इस अधिकार को खारिज नहीं किया जा सकता।

2. शैक्षणिक सत्र शुरू होने के छह महीने के बाद स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चों द्वारा पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए बच्चे को स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

**स्कूल में प्रवेश के समय परीक्षा नहीं लेने की नीति**

1. आमतौर पर परीक्षा और साक्षात्कार बच्चे में अध्ययन के प्रति रुचि कम कर देते हैं।

2. यह सीखने की क्षमता में मौजूद फर्क के बजाय पालन-पोषण में मौजूद फर्क को स्पष्ट करता है।

3. यह नीति सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि पर आधारित असमानताओं को दूर करती है।

4. कक्षा में मौजूद विविधता एक-दूसरे से शिक्षण की ओर, असमानताओं का सम्मान सिखाने की ओर, सहिष्णुता और सर्जनात्मकता की ओर ले जाती है।

**अनियमितता**

1. शिक्षा और प्रगति में यह एक बड़ी बाधा है।

2. कई बार अनियमितताओं के कारणों को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा, माता-पिता के साथ बात करके भी परिस्थिति में सुधार कर सकते हैं।

3. अनियमितताओं के लिए परिवारिक और स्कूल का माहौल दोनों कारण जिम्मेदार हो सकते हैं और इन कारणों को दूर करना बहुत जरूरी है।

सतत निगरानी और मूल्यांकन

1. शिक्षा और फेल होने के भय के बजाय, इस व्यवस्था में गुणवत्ता में सुधार लाने की श्रेष्ठ क्षमता रही है। धारा 13 के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हर बच्चे की सीखने की क्षमता एक सी होती है। कोई बच्चा पढ़ने में 'धीमा' या 'कमजोर' हो या 'फेल' हो जाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा जन्म से ही सीखने में कमजोर है। कई बार, शाला की परिस्थिति की अपर्याप्तता, बच्चे की मदद करने के लिए और उसकी क्षमता जानने की व्यवस्था का अभाव जिम्मेदार होता है। इसका मतलब यह है कि बच्चा नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था विफल हुई है।

2. इसके लिए बच्चे को एक ही कक्षा में रखकर सजा देने के बजाय शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार करने की जरूरत है।

3. सभी बच्चे स्वभाव से ही अभिप्रेरित होते हैं और सीखने के लिए सक्षम होते हैं।

4. सिखने की प्रक्रिया स्कूल के भीतर और स्कूल के बाहर दोनों जगह होती है।

5. शिक्षा का अर्थ केवल किताबें को याद करने तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है।

6. बच्चे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पढ़ते हैं, इसके बजाये उन्हें विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं के साथ जुड़ने का समय और अवसर दिया जाय, तो उन्हें अवधारणाएं ज्यादा अच्छी तरह याद रहेगी।

7. बच्चे जो सीख रहे हैं, उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। वर्षों के अनुभव से यह स्पष्ट हुआ है कि बाहरी परीक्षाओं के बजाय, नियमित रूप से स्कूल आधारित आंतरिक मूल्यांकन किया जाए तो वह अधिक प्रासंगिक और उपयोगी हो सकता है। यह पद्धति बच्चों ने पुस्तकों से जो पढ़ा है, उसके साथ व्यक्तित्व की विशेषताओं, रस और अभिगमों पर जोर डालती है। इसका मतलब यह भी है कि बच्चे को वैकल्पिक तरीके से सीखने की जरूरत है या नहीं इसका मूल्यांकन उसके स्कूल के अध्यापक कर सकते हैं।

8. बिना बोझ वाली शिक्षा पर जोर देना चाहिए।

9. बच्चे की कमजोरियों के बारे में जानकारी लेने और उन्हें दूर करने के लिए समय-समय पर मूल्यांकन करना उपयोगी हो सकता है।

10. परीक्षा के बजाय समग्र शिक्षण पर जोर देते हुए योग्य नागरिकों को तैयार करना और बच्चों में उचित कौशल व सकारात्मक गुणों का विकास करना

**शारीरिक दंड नहीं**

1. सजा और भय होने से बच्चों में अनुशासन रहेगा, यह मान्यता प्रचलित है।

2. दुनिया भर के शिक्षक एक स्वर में कहते हैं कि निर्माणात्क वर्षों में सीखने का वातावरण मिल जाए तो वह परिपक्व नागरिक बनने की कुंजी होती है। स्कूल को जेल की तरह सुधार गृह बनाने के बजाय उपरोक्त अनुसार सीखने का माहौल का बनाना चाहिए।

3. शारीरिक दंड और मानसिक सदमा विपरीत स्थिति का निर्माण करता है और इस कारण बच्चा पहले की तुलना में अधिक विद्रोही हो जाता है।

4. बचपन आसानी से प्रभावित होने और नाजुक अवस्था की अवधारणा व्यक्त करता है। इसलिए, बचपन का चरण सुरक्षा और पालन-पोषण मांगता है।

5. बच्चों का शरीर कमजोर होता है। हल्की सज़ा से भी चोट लग सकती है। बच्चे को थप्पड़ मारा जाए तो बच्चा बहरा भी हो सकता है। शारीरिक दंड के कारण बच्चों के गंभीर घायल होने के सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं। शारीरिक दंड अनिवार्य रूप से मानसिक आघात से जुड़ा हुआ है। सभी प्रकार के शारीरिक दंड और मानसिक आघात असुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं।

अभियान में विचार-विमर्श के मुख्य निष्कर्ष

**क्रम प्रस्तुत प्रश्न**

1. बच्चों का शैक्षणिक स्तर काफी नीचे है। बच्चे अपना नाम भी पढ़ या लिख नहीं सकते है। बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल रही है।

2. एसएमसी के बारे में उचित जानकारी नहीं है। लोगों का मानना है कि एसएमसी प्रशासनिक औपचारिकता ही पूरी करती है।

3. एसएमसी सदस्यों को बैठक के एजेंडे के बारे में पता नहीं होता, इस कारण वे शिक्षकों द्वारा आयोजित बैठकों में मौजूद नहीं रहते। इसके अलावा, शिक्षक भी उन्हें उचित जानकारी नहीं देते।

4. एसएमसी की सतत निगरानी और मूल्यांकन की भूमिका के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है।

5. अधिकांश लोग फेल नहीं करने की नीति के विरोधी हैं। लोगों का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में यह नीति लागू होना भी बच्चों के कमजोर शिक्षण का मुख्य कारण है।

6. शारीरिक दंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

7. एसएमसी पर पूरी तरह से शिक्षकों का नियंत्रण रहता है। शिक्षकों के चयन से लेकर बैठकों के आयोजन और धन की व्यवस्था के कामकाज पर शिक्षकों का नियंत्रण रहता है।

8. शिक्षक प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के स्तर के बारे में जानकारी नहीं रखते। वे एक सार्वभौमिक तरीके से कक्षा में कक्षा में पढ़ाई करवाते हैं। अभिभावकों के अनुसार बच्चों को गृहकार्य भी एक प्रकार का ही दिया जाता है।

9. कुछ सक्रिय लोग स्कूल की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए स्कूल में आते हैं। हालांकि, ये निरीक्षण भी सामूहिक रूप के नहीं होते।

10 रेबारी और कोली समुदाय के बच्चे सबसे अधिक अनियमित रहते हैं। शिक्षकों का मानना है कि ये बच्चे रोज स्कूल आ ही नहीं सकते, इसलिए शिक्षक भी इन बच्चों पर ध्यान नहीं देते।

11. उच्चतर विद्यालयों में जरूरी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण माता-पिता उच्च शिक्षा के लिए स्कूल में लड़कियों को नहीं भेजते और जो लड़किया पढ़ने जाती है उन्हे भी स्कूल छुड़वा   
 देते हैं।

12. स्कूल का कामकाज पूरी तरह से शिक्षकों पर निर्भर है। गांवों में शिक्षकों और समुदायों के बीच संबंध नहीं है।

13. कंप्यूटर पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

14. सरकारी स्कूल के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

15. पालक माता-पिता योजना, ऐस्कोर्ट भत्ता जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नही है।

16. माता-पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की बजाय निजी स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं।

17. अधिकांश माता-पिता अनपढ़ हैं, इस कारण वे घर पर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते।

18. रेबारी और कोली समुदाय में बार-बार स्थान परिवर्तन करने की स्थितियां अभी भी बनी हुई है।

19. एसएमसी की बैठकों में लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं होती कि किस कार्यसूची के बारे में चर्चा की गई है। शिक्षकों और एसएमसी सदस्यों के बीच बैठक के दौरान चर्चा किए जाने वाले मुद्दों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है।

**सुधारात्मक कार्रवाई**

1. लोगों को विभिन्न माध्यमों से आरटीई के प्रावधानों के बारे में सूचना दी गई।

2. एसएमसी के तहत लोगों को सतत निगरानी और मूल्यांकन, फेल नहीं करने की नीति, शारीरिक दंड के बारे में जानकारी दी गई।

3. स्कूल की पूरी व्यवस्था में एसएमसी की भूमिका पर चर्चा की गई।

4. सामूहिक कार्यवाही के बारे में चर्चा की गई।

5. अनियमितता के कारणों पर चर्चा की गई।

6. अनियमितता के कारणों की जांच करने की जिम्मेदारी समुदाय के सदस्यों को सौंपी गई।

7. समुदाय में कंप्यूटर शिक्षा के मुद्दे पर विचार-विमर्श करना चाहिए।

8. बार-बार स्थान परिवर्तन करने वाले परिवारों के बच्चों को उनके रिश्तेदारों के साथ गांव में रखने पर समुदाय को ध्यान देना होगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) - **2009** - मुख्य पहलू

भारत देश में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। इस कानून को लागू करने के लिए गुजरात राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी 2012 से नियम तैयार किये गये हैं। यह कानून हर बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अवसर और अधिकार देता है, इसके मुख्य पहलू इस प्रकार हैं:

1. प्रत्येक बच्चे को उसके निवास क्षेत्र के एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल और तीन किलोमीटर के अन्दर-अन्दर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध होना चाहिए। निर्धारित दूरी पर स्कूल नहीं हो तो उसके स्कूल आने के लिए छात्रावास या वाहन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

2. बच्चे को स्कूल में दाखिला देते समय स्कूल या व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मांगेगा, इसके साथ ही, बच्चे या उसके माता-पिता या अभिभावक को साक्षात्कार देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुदान की राशि मांगने या साक्षात्कार लेने के लिए भारी दंड का प्रावधान है।

3. विकलांग बच्चे भी मुख्यधारा की नियमित स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

4. किसी भी बच्चे को आवश्यक कागजों की कमी के कारण स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता है, स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी किसी भी बच्चे को प्रवेश के लिए मना नहीं किया जाएगा और किसी भी बच्चे को प्रवेश परीक्षा देने के लिए नहीं कहा जाएगा।

5. किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में (फेल करके) नहीं रोका जाएगा और आठ साल तक की शिक्षा पूरी करने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं हटाया जाएगा।

6. स्कूलों में शिक्षकों और कक्षाओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में रहेगी (हर 30 बच्चों पर एक शिक्षक, हर शिक्षक के लिए एक कक्षा और प्रिंसिपल के लिए एक अलग कमरा उपलब्ध करवाया जाएगा।)

7. कोई भी शिक्षक/शिक्षिका निजी शिक्षण या निजी शिक्षण गतिविधि नहीं चलाएगा/चलाएगी।

8. स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी।

9. किसी भी बच्चे को मानसिक यातना या शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा।

10. इस अधिनियम के तहत, शिकायत निवारण के लिए   
ग्राम स्तर पर पंचायत, क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर संसाधन केन्द्र(सीआरसी), तहसील स्तर पर तहसील पंचायत, जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की व्यवस्था है।

समुदाय आधारित बैठकों में विचार-विमर्श के मुद्दे

1. परिचय: आरटीई और उसके प्रमुख प्रावधान (शिक्षा का अधिकार अधिनियम देखें)

- क्या गांव में आरटीई के प्रावधानों का उल्लंघन करने की कोई गतिविधि हो रही है?

2. आरटीई को प्रभावी बनाने के लिए इसके कितने पहलू महत्वपूर्ण हैं। गांव की स्थिति के बारे में बताएं।

- क्या साल में किसी भी समय स्कूल में बच्चे को प्रवेश दिया जाता है; क्या बाद में प्रवेश प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रावधान है?

- क्या गांव में स्कूल में नहीं आने वाले बच्चे हैं और वे कौन हैं; उन बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए क्या किया जा सकता है?

- इन अनियमितताओं के लिए कौनसे कारण जिम्मेदार हैं और इन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है?

- बच्चों के लिए स्कूल में अनुकूल माहौल के मुद्दे (बिना किसी डर, भेदभाव के आनंददायक शिक्षण)

- फेल नहीं करने की नीति तथा सतत अवलोकन और मूल्यांकन

- शारीरिक दंड पर प्रतिबंध

- बच्चों के अनुकूल परिवर्तनशील तरीकों से शिक्षा (प्रज्ञा)

- मध्याह्न भोजन (नियमितता और गुणवत्ता)

- लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय

3. एसएमसी का गठन और महत्वपूर्ण भूमिका (प्रक्रिया एवं जागरूकता)

- एसएमसी का गठन कैसे किया गया था?

- इसमें कितने सदस्य हैं और वे सदस्य कौन हैं? (क्या 12 सदस्य हैं, वंचित बच्चों के माता-पिता सहित 75 प्रतिशत अभिभावक 50 प्रतिशत महिलाएं, बच्चों के प्रतिनिधि/शिक्षक, निर्माण श्रमिक आदि)

- बैठकों के आयोजन का अंतराल क्या है, क्या बैठक के समय के बारे में उनकी राय ली जाती है और कितने सदस्य बैठक में उपस्थित रहते हैं?

- कितने सदस्यों ने आरटीई और एसएमसी की भूमिका पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है?

- सदस्य कितने समय के अंतराल पर स्कूल में आते हैं और स्कूल में आने का उनका उद्देश्य क्या रहता है?

- स्कूल प्रशासन के कामकाज में शामिल होने के लिए आपको किस प्रकार की जानकारी लेने की जरूरत लगती है और इसमें क्या परेशानियां महसूस होती हैं?

- पिछले 2-3 वर्षों में एसएमसी के कामकाज से क्या-क्या बदलाव किए गए हैं? (स्कूल में नामांकन और उपस्थिति, स्कूल के बुनियादी ढांचे या शिक्षा की गुणवत्ता आदि)

- लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए, नियमितता बढ़ाने के लिए, स्कूल छोड़ने की दर कम करने के लिए, विकलांग बच्चों का स्कूल में नामांकन करने के लिए, शिक्षकों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एसएमसी क्या कर सकती है?

- क्या ग्राम पंचायत उन शिक्षकों को ग्राम सभा और अन्य सम्बन्धित बैठकों में भाग लेने के लिए सूचना देती है जो एसएमसी के सदस्य हैं?

सुधारात्मक कदम

- जागरूकता फैलाने के लिए समय-समय पर अभियान चलाना

- एसएमसी का गठन माता-पिता (अभिभावकों) की बैठक में या ग्राम सभा में किया जाना चाहिए।

- नियमित बैठकें (हर तीन महिने में एक बैठक)

- स्कूल के सदस्यों के नाम, बैठकों की सूचना तथा उपलब्ध धनराशि और उसके उपयोग की जानकारी को सार्वजनिक करना।

- समुदाय को एसएमसी के गठन की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करना।

- एसएमसी के पूर्व सदस्य नए सदस्यों को प्रशिक्षण देने में सहायक हो सकते हैं।

- समय पर और नियमित रूप से प्रशिक्षण और अप्रशिक्षित अन्य सदस्यों को प्रशिक्षित सदस्यों से प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करना।

- सहयोगियों का एक दूसरे से सीखना (जैसे अहमदाबाद में आयोजित एसएमसी सम्मेलन)

4. एसएमसी/समुदाय और स्कूल के बीच संबंध

- यह क्यों आवश्यक है?

- यह संबंध क्या होना चाहिए और वर्तमान में कैसा है?

- इसमें किस प्रकार सुधार कर सकते हैं?

- कौनसा व्यक्ति क्या काम कर (भूमिका निभा) सकता है?

- अन्य क्षेत्रों की एसएमसी के सकारात्मक उदाहरण

5. माता-पिता को आने वाली मुश्किलें

- क्या आपने आरटीई के बारे में सुना है?

- क्या 10 साल पहले (आरटीई अधिनियम से पहले) जिस तरह स्कूल चलते थे और आज जिस तरह चलते हैं, इनके बीच कोई फर्क लगता है?

- स्कूल में बच्चों के अनियमित रहने के मुख्य कारण क्या हैं?

- बच्चे, लड़कियां, विकलांग बच्चे स्कूल जाना क्यों बंद कर देते हैं?

- स्कूल के वातावरण के बारे में बच्चों की क्या सोच हैं?

- बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए क्या उन्हें पीटना चाहिए या उन्हें सजा देनी चाहिए?

- फेल नहीं करने की नीति के बारे में आपके विचार क्या हैं?

स्कूल प्रबंधन समिति के मुख्य पहलू

बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-21 और गुजरात राज्य द्वारा बनाए गए नियम 2012 के नियम-16 के अनुसार स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) का अनिवार्य रूप से गठन किया जाता है। कानून के अनुसार समिति के कुल सदस्यों में से 75 प्रतिशत सदस्य (समिति में 12 सदस्य हों तो 9 सदस्य) पढ़ने वाले छात्रों के माता-पिता/अभिभावक में से चुने जाते हैं। वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। समिति में 50 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी।

समिति की बैठक तीन महिने में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, जिसका कार्यवाही और निर्णयों को उचित रूप से नोट करके पढ़ने के लिए उपलब्ध करवाया जायेगा।

समिति की मुख्य जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:

1. बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल के विकास की योजना बनाना और योजना के क्रियान्वयन की निगरानी रखना।

2. बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होने पर, विशेष रूप से बच्चों को मानसिक, शारीरिक यातना दी गई हो या प्रवेश देने से मना किया हो या किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन हुआ हो तो उसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों को देनी चाहिए।

3. विकलांग बच्चों की पहचान, उनके प्रवेश का पंजीकरण और उनके लिए सुविधाओं की निगरानी पर नियंत्रण रखना, प्रारंभिक शिक्षा में उनकी भागीदारी और सुनिश्चित करना ताकि उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी हो।

4. बच्चों की उपस्थिति, समय की पाबंदी और शैक्षिणिक प्रगति पर निगरानी रखना।

5. स्कूल मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना।

6. सुविधाजनक स्कूल में सीखने के लिए अनुकूल और बालमैत्रीपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए सफाई, स्वच्छता, वृक्षारोपण, खेलकूद की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

7. बच्चों का स्वास्थ्य बना रहे और सीखने में प्रगति के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

8. यह सुनिश्चित करना कि स्कूल में बच्चों के लिए पढ़ाई का सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण (बच्चों को पीटा या दंड नहीं दिया जाए, अपमानित नहीं किया जाए, अपमान जनक भाषा में बात नहीं की जाए आदि) बना रहे।

9. इस समिति का कार्यकाल दो साल का रहेगा, अवधि पूरी होने पर समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन को दैनिक प्रशासन चलाने के लिए समिति में माता-पिता या अभिभावक के रूप में शामिल सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना।

10. अभिभावकों की बैठकों या ग्रामसभा की बैठकों में एसएमसी का चुनाव करना।

बुजुर्गों के रुके हुए पेंशन जारी करवाने के अनुभव

देश के पिछड़े जिलों में 'सार्वजनिक योजनाओं की जानकारी तक बेहतर पहुँच' परियोजना के तहत उन्नति के योगेंद्र कटेवा ने गुजरात के साबरकांठा जिले की पोशीना तालुका में बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना की पहुंच के बारे में अपने अनुभवों को इस आलेख में प्रस्तुत किया है।

भारत एक कल्याणकारी देश है और देश के नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं के अधिकारों और उन तक पहुँच सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। समाज में बुजुर्ग नागरिकों, बेसहारा लोगों, विकलांगों, विधवाओं, अनाथों और बच्चों आदि जैसे वंचित लोगों की समाज द्वारा उपेक्षा की जाती है। साबरकांठा जिले के नवगठित पोशिना तालुका की 17 ग्राम पंचायतों के 59 गांवों में यही स्थिति है।

संविधान का अनुच्छेद 41 शिक्षा के अधिकार, रोजगार के अधिकार और सामाजिक सहायता से संबंधित है। इसको ध्यान में रखते हुए, 15 अगस्त 1995 से, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत लाभान्वित बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। वृद्धावस्था पेंशन की राशि विभिन्न राज्य सरकारों की मार्गदर्शिका के अनुसार अलग-अलग होती है। गुजरात सरकार इस योजना के तहत 60-79 साल वाले आवेदकों को 400 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को 700 रुपये प्रति माह पेंशन देती है। गुजरात सरकार द्वारा पारित मार्गदर्शिका की शर्तें निम्नानुसार हैं: (2002 में किए गए गरीबी रेखा के सर्वेक्षण के अनुसार, जरूरतमंद परिवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्रम इस प्रकार है)

- आवेदकों की आयु 60 या 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए

- आवेदक 0-16 की बीपीएल श्रेणी में होना चाहिए

जिस लाभार्थी की पात्रता उपरोक्त मानदंडों के अनुसार है, उसे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन पत्र को मंजूर करवाने के लिए इसे सहायक दस्तावेजों के साथ राजस्व अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। पात्र लाभार्थी इस आवेदन को ग्राम पंचायत के कम्प्यूटर ऑपरेटर, सरपंच या पटवारी को सीधे प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत को प्रस्तुत आवेदन की वह रसीद नहीं देती जिससे लोगों को ग्राम पंचायत के कामकाज में विश्वास नहीं है और इसलिए वे ग्राम पंचायत में आवेदन नहीं देते। इसके स्थान पर आवेदक फॉर्म को सीधे तहसील कार्यालय को प्रस्तुत करने या ग्राम सेवकों या इस हेतु क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों आदि वैकल्पिक व्यवस्थाओं का उपयोग करना चाहते हैं। पेंशन आवेदन के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेजों की सूची इस प्रकार हैं:

1. पीएचसी या सीएचसी के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र।

2. ग्राम पंचायत द्वारा पारित बीपीएल श्रेणी का प्रमाण पत्र (आवेदक को 0-16 की बीपीएल श्रेणी में होना चाहिए)

3. राशन कार्ड की फोटो प्रतिलिपि (राशन कार्ड की प्रति, जिसमें आवेदक का नाम दर्ज होना चाहिए)

4. आवेदक का मतदाता पहचान पत्र

5. आधार कार्ड की प्रतिलिपि (नवंबर, 2015 के बाद संशोधन)

6. बैंक खाता पासबुक की प्रतिलिपि (नवंबर 2015 के बाद संशोधन)

7. पेंशन मंजूर होने के बाद हर साल 'जीवन प्रमाणपत्र' देना आवश्यक है।

आम तौर पर, आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों के बारे में जानकारी की कमी रहती है। अधिकांश संभावित लाभार्थियों को अपनी पात्रता के बारे में पता ही नहीं होता। आवेदन के साथ किन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना है, इन सहायक दस्तावेजों को कैसे एकत्र करना और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए संबंधित विभागों के बारे में भी उन्हें पता नहीं होता। गुजरात सरकार के नियमों के अनुसार, साबरकांठा जिले के पोशिना तालुका के पात्र कई लाभार्थियों ने वर्ष 2014-2015 के दौरान संबंधित प्राधिकारी या विभागों में आवेदन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (उम्र वंदना) के आवेदन प्रस्तुत किए थे। उन्नति और गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न गांवों के स्वयंसेवकों को जानकारी देकर, दस्तावेजों को इकट्ठा करने और आवेदन जमा करने के विभिन्न कार्यों के माध्यम से लाभार्थियों की मदद की थी।

तहसील अधिकारियों के अनुसार, पूरी पोशिना तहसील में वर्ष 2015 के अंत तक वृद्धावस्था पेंशन के लिए 750 से अधिक आवेदन पत्र अनुमोदन के लिए सूची में शामिल किये गये थे। 750 में से 450 आवेदन पत्र 2015 में ही मंजूर हो गए थे। अधिकारियों के मुताबिक, नवगठित पोशिना तहसील में कर्मचारियों की कमी और खेडब्रह्मा तहसील में सीमित कर्मचारियों पर कार्य भार की अधिकता के कारण इस काम में इतनी देरी हुई थी। राजस्व अधिकारी से काफी परामर्श और बैठकों के बाद इन 750 लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देने में पोशिना तहसील के अधिकारियों को 3 महीने का समय लगा था। जुलाई, 2015 में विभिन्न समुदायिक बैठकों और समुदाय के नेताओं से बातचीत में भी यह स्पष्ट हुआ कि लोगों को अप्रैल 2015 से निर्धारित पेंशन नहीं मिल रही है। तुरंत इस मामले में राजस्व अधिकारी कार्यालय को सूचित किया गया। वहां से यह स्पष्ट किया गया कि अभी तक 2015 के लिए राशि जारी नहीं की गई है। दिसम्बर 2015 के दौरान फिर इस मामले में राजस्व अधिकारी और जिलाधीश से बातचीत की गई। फंड की अनुपलब्धता के अलावा एक और कारण यह सामने आया कि लाभार्थियों के पास बैंक खाता या आधार कार्ड नहीं था। देना ग्रामीण बैंक के प्रबंधक और कर्मचारियों का उस साल का लक्ष्य पूरा हो जाने और उन्हें शून्य शेष वाले खाते नहीं खोलने की सूचना मिलने के कारण खाता खोलने के बारे में उनका रवैया उदासीन था। इसलिए बैंक में खाते खोलने का कार्य मुश्किल हो गया था। इस मामले में, राजस्व अधिकारी कार्यालय में संयुक्त बैठकें आयोजित की गई।

जनवरी, 2016 के दौरान निदेशक, सामाजिक सुरक्षा विभाग से संपर्क किया गया और फंड की कमी की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया। हमें पता चला कि राज्य के लिए बहुत कम बजट दिया गया था इसलिए राज्य भर में बुजुर्गों की पेंशन का भुगतान नहीं किया गया था। इसके बाद, निदेशक सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग से संपर्क करने पर अंत में मार्च 2016 में फंड दिया गया। वर्ष 2015-2016 के लिए बजट कम मंजूर होने के कारण यह रकम पर्याप्त तो नहीं थी, लेकिन इस राशि से प्रत्येक लाभार्थी को कुछ महीनों के लिए राहत प्रदान की जा सकती थी। सरकारी अधिकारियों ने पूरे जोश के साथ 2014 में जन धन योजना शुरू की थी और देश के नागरिकों ने इस योजना में उत्साह पूर्वक भाग लिया था। इस कारण रिकार्ड स्तर पर बैंक खाते खोले गए थे और वित्तीय क्षेत्र के साथ संबंध जुड़ा था। इस अभूतपूर्व कार्य से प्रभावित होकर तहसील प्रशासन ने सीधे लाभार्थी के खाते पेंशन राशि जमा करने का (आधार कार्ड को खाते से लिंक करके) सुझाव दिया था। इससे काम का बोझ कम होगा, लाभार्थी को विवरण फिर से नहीं भरना पड़ेगा और धन प्राप्त करने के लिए अन्य खाते पर निर्भरता कम होगी। लेकिन, आवेदन देते समय, कुछेक अपवादों को छोड़कर, किसी लाभार्थी ने बैंक खाता संख्या और आधार कार्ड संख्या नहीं दी। इस प्रयास के पीछे यह कारण भी था कि इस तरह संबंधित जिला, खाता मिलने वाली राशि लाभार्थी के खाते में सीधे जमा करवा सके और भुगतान नहीं करने वाली परिस्थिति ही पैदा न हो।

इस संबंध में दस्तावेज इकट्ठा करने का काम संबंधित पटवारियों और गांवों या पंचायतों की उचित मूल्य की दुकान वालों को सौंपा गया था। इस प्रक्रिया में हमारी टीम ने भी तहसील अधिकारियों की मदद करने की जिम्मेदारी ली थी। सामुदायिक स्तर की बैठक में, नागरिक नेताओं की बैठक और गांवों में घर-घर सम्पर्क के दौरान दस्तावेज संकलित किए गए। मार्च 2016 के अंत तक लगभग 500 लाभार्थियों के आधार कार्ड नंबर और खाता नंबर राजस्व अधिकारी कार्यालय को दिए गए थे। लेकिन, सभी लाभार्थियों की खाता संख्या और आधार संख्या उपलब्ध नहीं होने की वजह से बैंक के द्वारा भुगतान नहीं किया जा सका था और राजस्व अधिकारी कार्यालय ने भारतीय पोस्ट ऑफिस की मदद से मनी ऑर्डर के माध्यम से भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। अप्रैल 2016 में लाभार्थियों की सूची के साथ भुगतान योग्य रकम के चैक तहसील पोस्ट ऑफिस अधिकारियों को भेजे गये थे। राजस्व अधिकारी से इस समस्या पर भी चर्चा की गई थी। इसके जवाब में, राजस्व अधिकारी कार्यालय भारतीय डाक सेवा विभाग को भुगतान नहीं करने का कारण बताने के लिए एक पत्र भी भेजा था। डाक विभाग ने मई 2016 में जवाब दिया था कि लाभार्थियों की सूची स्थानीय भाषा में होना बताया। हालांकि, डाक विभाग को ये नाम अंग्रेजी में चाहिए थे। इसलिए, लाभार्थियों के नाम अंग्रेजी में दिये गए।

आखिरकार, जून, 2016 के दूसरे सप्ताह में मानसून की शुरुआत के साथ लोगों के चेहरे आनंद से खिल उठे। नागरिक नेताओं और हितधारकों ने राहत की सांस ली क्योंकि समुदाय के लोग दस्तावेज लेने के बावजूद कुछ भी करने में नाकाम रहने के लिए जिम्मेदार ठहराते थे। कुछ पेंशनधारकों को प्रति व्यक्ति 4,800 से लेकर 12,000 रुपये की पेंशन राशि मिली थी। एक नागरिक नेता ने कहा था कि, 'हमें काफी राशि मिली है और आवश्यकता के समय ही हमें यह रकम प्राप्त हुई है। लोगों के पास बीज और खेती की वस्तुएं खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और अब खेती की चीज-वस्तुएं खरीदने के लिए उन्हें अपनी संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ पेंशनधारकों ने बताया कि इस पेंशन से वे अपने लिए कपड़े ले सकते हैं और कुछ ने कहा कि पेंशन मिलने से वे कुछ संतोष महसूस करते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि पेंशन के कारण त्यौहारों के दौरान अपने पोते-पोतियों को देने के लिए हाथ में कुछ पैसा रहता है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को मिलने वाली राशि परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए नगण्य होने के बावजूद जरूरतमंद परिवार के जीवन और पोषण से संबंधित स्थिति में वह काफी महत्वपूर्ण और सहायक की भूमिका निभाती है। यदि यह राशि समय पर ढंग से दी जाए तो पूरे परिवार के लिए महीने के राशन-पानी की मुख्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

पेंशन की राशि लाभार्थी के खाते में जमा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम, प्राप्य लाभों को समय पर प्राप्त करना सुनिश्चित करता है। जन धन योजना के दौरान खोले गए खातों का लोग इस्तेमाल करेंगे और इससे बचत की आदत भी पड़ेगी। इसके अलावा, इस व्यवस्था के मद्देनजर जीवन स्तर में सुधार होगा और बुजुर्ग समाज में सम्मानपूर्वक गौरवप्रद जीवन जी सकेंगे।

समान नागरिक संहिता नही, बल्कि अधिकारों की समानता का क्रियान्वयन अधिक महत्वपूर्ण है?

फ्लाविया एग्नेस - विवाह, तलाक और संपदा से संबंधित कानूनों की विशेषज्ञ वकील हैं। उन्होंने विभिन्न लेख लिखे हैं और प्रकाशित किए हैं। जिनमें से कई लेख सबोल्टर्न स्टडीज, इकोनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली और मानुषी में प्रकाशित हुए हैं। ये लेख अल्पसंख्यक समुदाय और कानून, जेंडर (पुरुष और महिला) और कानून, महिलाओं के आंदोलन, घरेलू हिंसा और नारीवादी न्यायशास्त्र जैसे मुद्दों पर लिखे गए हैं। एग्नेस 1988 से बंबई उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य कर रही हैं। खुद को घरेलू हिंसा के हुए अनुभव ने उन्हें महिलाओं के अधिकारों के लिए वकील बनने हेतु प्रेरित किया। इसके साथ ही वे सरकार को कानूनों के प्रवर्तन के बारे में सलाह प्रदान करती हैं और वे वर्तमान में महाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सलाहकार हैं। एग्नेस ने मधुश्री दत्ता के साथ मिलकर 'मजलिस' (अरबी अर्थ - संगठन) की स्थापना की है। कानूनी और सांस्कृतिक संसाधन केन्द्र - मजलिस महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों, बच्चे का कब्जा आदि ऐसे जैसे मुद्दों पर अभियान चलाती है और महिलाओं को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करती हैं। 1990 में स्थापित होने के बाद से अब तक मजलिस ने 50,000 महिलाओं को कानूनी सेवाएं प्रदान की हैं, जिनमें कई निराश्रित महिलाएं शामिल हैं। फ्लाविया एग्नेसने बुला देवी को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने बहुचर्चित समान नागरिक संहिता के बजाए अधिकारों की समानता के क्रियान्वयन की जरूरत पर अधिक जोर दिया है।

**प्रश्न:** क्या आपको लगता है कि समान नागरिक संहिता या सभी धर्मों की प्रथाओं और निजी कानूनों का संहिताकरण जेंडर समानता सुनिश्चित कर पाएगी?

**उत्तर:** मुझे नहीं लगता। जब हिंदू विवाह कानूनों का संहिताकरण किया गया था, तब हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों में बहुपतित्व या बहुपत्नित्व की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्या इससे हिंदुओं में द्विपतित्व या द्विपत्नित्व की मात्रा में कमी आई है? आंकड़े कुछ अलग ही चित्र दर्शाते हैं। इसके विपरीत, इस तरह के कानून के कारण दूसरी पत्नी रखरखाव, आवास, आदि के अपने अधिकारों से वंचित रहती है। इतना ही नहीं, उसका गौरव भी छिन जाता है क्योंकि अदालती कार्यवाही में इस तरह की महिलाओं को उप-पत्नी या रखैल कहा जाता है। हालांकि संविधान द्वारा महिलाओं के खास वर्ग की रक्षा करने के बावजूद, ये महिलाएं अनुच्छेद 21 के तहत गौरवपूर्ण जीवन जीने के अधिकार से वंचित रहती हैं। इसी प्रकार, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत हिंदू लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 साल निर्धारित की गई है, जिससे बाल विवाह में कमी आई है। हालांकि, आंकड़ें एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। मुसलमानों की तुलना में हिंदुओं में बाल विवाह का अनुपात बहुत अधिक है। कानून से नहीं, बल्कि समुदाय की आर्थिक स्थिति में सुधार से ही बाल विवाह का स्तर नीचे आएगा। हम समस्या के सिर्फ एक पहलू पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमें लगता है कि समान नागरिक संहिता लागू करने से या मुस्लिमों की कुछ प्रथाओं पर प्रतिबंधों से महिलाओं को स्वतंत्रता मिल जाएगी। यह आधार कानून में संशोधन की वास्तविकता की अनदेखी करता है।

**प्रश्न:** क्या बहुपत्नित्व, बहुपतित्व, मैत्री समझौते पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए?

**उत्तर:** इन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा देने के बावजूद पुरुष एक से अधिक पत्नी रखें, तो इन संबंधों में महिलाओं की रक्षा कैसे की जाएगी? इस मुद्दे का महत्व लैंगिक न्याय के संदर्भ में समझा जा सकता है। कई बार महिलाओं को पहली शादी के बारे में पता होता है, जबकि कई बार जानबूझकर पुरुष पहली शादी के तथ्य को छुपाते हैं। बहुविवाह की छूट देने वाले मुस्लिम जैसे समुदाय में हर औरत (पत्नी) को बराबर का दर्जा दिया गया है और उसको उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा देने से, पुरुष उसका पूरा-पूरा फायदा उठा सकते हैं, उसका यौन शोषण कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाए बिना महिलाओं को छोड़ सकते हैं और यह बचाव कर सकते हैं कि वह उसकी दूसरी पत्नी है और उसकी पहली शादी बरकरार है। इस कारण से घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में 'शादी जैसे संबंध' शब्द का उपयोग करके इन संबंधों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयत्न किया गया है।

**प्रश्न:** क्या तीन तलाक की प्रथा को खत्म करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए?

**उत्तर:** यह सवाल गलत धारणा है और कानून की अज्ञानता से भरा है। 2002 में शमीम आरा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम शादी को समाप्त करने के लिए सही प्रक्रिया निर्धारित की थी। कई उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का अनुसरण करते हैं। इसलिए, सही प्रक्रिया बताकर तीन तलाक को अवैध ठहराना कीाँई नई बात नहीं है। 2002 में जब शमीम आरा मामले का निर्णय आया, तब मीडिया ने उसकी उपेक्षा की और अब वे पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं।

**प्रश्न:** ईसाइयों में तलाक की अवधि (तलाक प्रतीक्षा अवधि) होती है, क्या इसे दो साल से कम करके एक साल करना चाहिए?

**उत्तर:** हाँ, यह कानून मौजूद है और इस असमानता को आसानी से ठीक किया जा सकता है। भारतीय तलाक अधिनियम के संदर्भ में कोई धर्मवाद नहीं है। यह संसद का कानून है और इसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है।

**प्रश्न:** क्या समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले समाज और सरकार की मानसिकता बदलने की जरूरत है?

**उत्तर:** यदि समान नागरिक संहिता को अल्पसंख्यक विरोधी और गैर-प्रभावी रूप से तैयार किया जाएगा, तो हमेशा इसका विरोध होता रहेगा। महत्वपूर्ण मील के पत्थर और न्यायिक फैसलों द्वारा न्यायिक क्षेत्र में हुए विकास को मीडिया द्वारा कम करके आंका गया है। मुझे लगता है कि पर्सनल लॉ में क्रमिक रूप से संशोधन करना एक सकारात्मक कदम है।

**प्रश्न:** समान नागरिक संहिता (यूसीसी) व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, ऐसा भय फैल रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं?

**उत्तर:** इस समय हमें समान नागरिक संहिता की नहीं, बल्कि विभिन्न धर्मों में अधिकारों में एकरूपता की जरूरत है। इसके लिए, हमने जिस तरह हिंदू कानून में संशोधन किया, ईसाई कानून में संशोधन किया, उसी तरह बिना कोई बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा किए, मुस्लिम कानून में भी संशोधन करना चाहिए। मौजूदा विवाद पूरी तरह अनावश्यक है।

स्रोत: http://www.outlookindia.com/magazine/story/what-we-need-is-not-a-uniform-civil-code-but-uniformity-of-rights/298037

खेल-खेल में सिखाने वाले अनोखे शिक्षक: रमेश घारू

रमेश घारू जिस कक्षा में प्रवेश करते हैं, वह कक्षा छात्रों से खचाखच भरी रहती है। बैठने की जगह नहीं मिलने पर कई छात्र पीछे खड़े रहते हैं। कक्षाओं में उपस्थित रहने का रोमांच उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शिक्षक का एक-एक शब्द वे ध्यान से सुनते हैं और जवाब देने में एक दूसरे को पीछे छोड़ते लगते हैं। छात्रों में रमेश घारू की कक्षा में उपस्थित रहने की जल्दबाजी का मुख्य कारण यह है कि घारू ने सिखाने की नई-नई पद्धतियां खुद तैयार की हैं। एक ही कक्षा में वे गणित से लेकर भूगोल, भाषा, विज्ञान आदि जैसे विषय पढ़ा सकते हैं। घारू की कक्षा सूचना और विचारों का खजाना बन जाता है।

आमतौर पर, सरकारी स्कूलों के बारे में लोगों की राय बहुत अच्छी नहीं होती है। बुनियादी सुविधाएं अपर्याप्त होती हैं। शिक्षक लापरवाह होते हैं और उनमें पर्याप्त कौशल नहीं होता। पुस्तकों की कमी होती है। बच्चे स्कूल नहीं आते और आते हैं तो भी वे कितना सीखते हैं, यह एक बड़ा सवाल है।

घारू ने सभी बाधाओं का सामना करके स्थिति में सुधार करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वे शिक्षण कार्य को दिलचस्प बना सकते हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास बसे सियानी गांव की सरकारी स्कूल में पिछले 20 वर्षों से कार्यरत घारू ने विचारशील शिक्षक और ईमानदार व्यक्ति की छवि बनाई है।

घारू का कहना है, 'मेरे लिए शिक्षा का मतलब है - बच्चों को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना। इसका कारण है कि बच्चे विभिन्न गतिविधियों से अपने आप सीखते हैं। एक शिक्षक के रूप में मेरी जिम्मेदारी ऐसा वातावरण प्रदान करने की है जिसमें बच्चे प्रयोग कर सकें और सीख सकें। भाषा अंतत: क्या है? वर्णमाला तो वही होती है। इसका उपयोग कैसे करना है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है।'

'बच्चों को वर्णमाला के साथ, नवीनतम विचारों से खेलने का अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से वे जल्दी सीख सकते है और कक्षा का अनुभव उनके लिए सार्थक बनेगा। एक शिक्षक के रूप में बच्चे को डराए या धमकाए बिना गणित, भूगोल, विज्ञान अभिनव तरीके से सिखा सकते हों तो, सीखने की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। आनंददायी पद्धति से शिक्षा प्रदान करना काफी बड़ी चुनौती है। नई चीजों को जानने और समझने के लिए बच्चे में आत्म विश्वास पैदा होना जरूरी है।'

नाटे और मोटे घारू ने एम.ए. और बी.एड. की डिग्री हासिल की है। सिखाने का उनका कौशल स्वाभाविक है, लेकिन शिक्षक के रूप में उनकी सफलता, उनकी समझ और मेहनत का परिणाम है। उनका पद और वेतन व्याख्याता का होने के बावजूद उन्होंने प्राथमिक स्कूल में शिक्षक रहना पसंद किया है। 'कक्षा में छोटे बच्चों के साथ मुझे जो खुशी मिलती है, वह कहीं और नहीं मिलती', यह कहते हुए वे आगे कहते हैं, 'मुझे यहीं खुशी मिलती है और यहीं मैं बच्चों के जीवन पर प्रभाव डाल सकता हूँ। मेज-कुर्सी पर बैठकर प्रशासनिक कार्य को करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है।'

करुणा

गहन करुणा और नम्रता रमेश घारू के व्यक्तित्व का हिस्सा है। इसका भी एक इतिहास है। घारू अनुसूचित जाति के अनुक्रम में अंतिम पंक्ति में आने वाली जाति से है। इसलिए, सरकारी रिकॉर्ड में अपने नाम से घारू उपनाम हटा दिया है और उसके स्थान पर उन्होंने रमेश कुमार नाम रखा है। हालांकि, दैनिक कामकाज और ईमेल, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट में उन्होंने घारू उपनाम जारी रखा है। अक्सर उन्हें घारूजी के नाम से संबोधित किया जाता है।

उनके माता-पिता सफाई कर्मचारी थे। बचपन में और बड़े होने पर भी घारू शौचालयों की सफाई में अपने माता- पिता की मदद करते थे। इस भेदभाव के अनुभव के बाद घारू के व्यक्तित्व में कड़वाहट और असंतोष हो सकता था, लेकिन वे इसके बजाय, बहुत ही सौम्य और विनम्र हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि शिक्षा क्षेत्र में उनके सहयोगियों द्वारा उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। फिर भी, वे इस प्रकार के भेदभाव से उत्तेजित नहीं होते। घारू ने स्कूल-कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की, जिसने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने छोटी-मोटी नौकरियां की थी। वे जहाँ भी गए, वहां उनकी जाति ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंततः उन्हें सफाई का काम ही सौंपा जाता था। उनका सपना भारतीय सेना में शामिल होने का था। कॉलेज के दौरान वे नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) में शामिल हुए थे, जहां उन्हें अच्छी प्रतिष्ठा मिली थी। एनसीसी की इस सफलता के आधार पर, वे सेना के अंतिम चयन के दौर में सीधे जा सकते थे, लेकिन संयोगवश ऐसा हो नहीं सका।

इसके बाद उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। समय के साथ, बाड़मेर स्थित एयर फोर्स स्टेशन में केन्द्रीय विद्यालय में उन्हें नौकरी मिल गई। जीवन में पहली बार उन्हें खुद के लिए उपयुक्त योग्य वेतन मिला। कितना? 2,500 रु. मात्र। इसके अलावा, सेना में जातिगत भेदभाव नहीं होने की वजह से यहां उन्हें उचित मान्यता भी मिली।

इस दौरान ही किसी ने उन्हें खाली समय में बेघर बच्चों को पढ़ाने का सुझाव दिया। घारू को यह सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने बेघर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच, वे गरीब परिवारों के गहन संपर्क में आए। बेघर बच्चों को पढ़ाने के दौरान उनमें खिलौने बनाने की गतिविधि में रुचि पैदा हुई और बेकार चीजों का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रेरित हुए। इसके बाद उन्हें सन् 2006 में शिक्षक के रूप में सरकारी नौकरी मिली। सियानी गांव की उच्च प्राथमिक विद्यालय में उनकी नियुक्ति हुई। मोटर साइकिल नहीं खरीदी थी, तब तक घारू छह किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे।

सियानी में उनकी पोस्टिंग 20 साल तक रही, क्योंकि उनके अनुसार कोई भी शिक्षक इतनी दूर स्कूल में काम करने के लिए तैयार नहीं था। समय के साथ यह विद्यालय उच्च प्राथमिक से सीनियर माध्यमिक बन गया। पिछले साल बाड़मेर शहर के रेलवे कुवा नं. 3 की सरकारी स्कूल में घारू की बदली हो गई।

अनोखे तरीके अपनाने से लोकप्रियता

सियानी गांव के स्कूल के शिक्षक के रूप में घारू की प्रतिभा खिल उठी। अपनी रोचक और नवीन शिक्षा पद्धति के कारण वे विद्यार्थियों में लोकप्रिय बनते गए। निचली जाति से संबंधित होने की वजह से हालांकि, उन्हें अन्य शिक्षकों के भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें छात्रों से सम्मान जनक व्यवहार मिला। वे शिक्षक हैं, लेकिन छात्र घारू को इस तरह से देखते हैं मानो किसी जादूगर को देख रहे हों। बेकार कपड़े से बनी और प्लास्टिक से बुनी गेंद, निमंत्रण पत्र से बनाया पक्षी, बेकार एक्स-रे फिल्म को पुराने बाल पैन के साथ जोड़कर पंख हिलाने वाला पक्षी, कार्ड बोर्ड से बनाया हवाई जहाज और बेकार पॉलीथीन से बनाई ईंडूणी जिसे सिर पर वजन संतुलित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

इन वस्तुओं का एक से अधिक तरीकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। चूंकि सभी चीजें बेकार वस्तुओं में से बनाई गई हैं, इसलिए पहला सबक पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के बारे में है। गेंद का इस्तेमाल पकड़ने के खेल लिए किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल पृथ्वी का आकार समझाने तथा सूर्य और चंद्रमा के साथ पृथ्वी की गतिविधि को समझाने के लिए भी किया जा सकता है।

पॉलीथीन की ईंडूणी सिर पर रखने से वजन उठाना आसान हो जाता है। वजन विभाजित हो जाता है और वजन आसानी से उठाया जा सकता है। यह बुनियादी विज्ञान का ज्ञान है। परंपरागत रूप से, महिलाएं पानी से भरे घड़े या लकड़ी के गट्ठर को सिर पर रखने से पहले ईंडूणी रखती हैं या मोटे कपड़े को ईंडूणी जैसा बनाकर रखती हैं। इस कारण से वे संतुलन बनाए रख सकती हैं। घारू विभिन्न रंग और विभिन्न आकार में ईंडूणी बनाते हैं। उन्हें साथ रखकर 10, 100, 1000, आदि संख्या को समझाया जा सकता है। इससे छात्र जल्दी से संख्या के बारे में सीख सकते हैं।

एक्स-रे फिल्म से बनाये पंखों को हिलाने वाले पक्षियों का इस्तेमाल अलग-अलग पक्षियों की आवाज के बारे में समझाने के लिए किया जाता है। मैना कैसे बोलती है? कौआ कैसे बोलता है? इसके साथ ही, लैंगिक समानता और लड़कियों के अधिकारों के बारे में बात करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह पक्षियों को पिंजरे में नहीं डालना चाहिए, उसी तरह, लड़कियों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें अपने कौशल का विकास करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। घारू अपने छात्रों को बताते हैं कि लड़कियां तो परिवार का गौरव होती हैं।

शिक्षकों का शिक्षण

समय के प्रवाह के साथ, घारू ने शिक्षकों के शिक्षक के रूप में ख्याति अर्जित की है। घारू की अभिनव पद्धतियों को सीखने के लिए अन्य शिक्षक उनसे संपर्क करते हैं, लेकिन घारू का कहना है कि वे केवल सरकारी स्कूलों की ही मदद करेंगे। घारू बाड़मेर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षकों को प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। शौचालयों की सफाई जैसे निम्न स्तरीय माने जाने वाले काम से लेकर नवीन शिक्षण विधियों के विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्धि हासिल करने का सफर सही मायने में उनकी एक महान उपलब्धि है।

घारू का वेतन 52,000 रु. प्रतिमाह है। उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया है, जिसमें वे अपनी पत्नी, मां और छह बच्चों के साथ रहते हैं। इन छह बच्चों में उनकी दो बेटियां हैं, दो बच्चे उन्होंने गोद लिए हैं और बाकी दो बच्चे उनके छोटे भाई के हैं, जिनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई थी। घारू का छोटा भाई अभी भी मेहतर के रूप में काम कर रहा है।

घारू पूर्ण संतुष्टि के साथ कहते हैं, 'हम बहुत खुश हैं। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास सब कुछ है। सरकारी शिक्षक के रूप में काम करने में मुझे आनंद मिलता है।'

बेजवाड़ा विल्सन से साक्षात्कार

('न्यूज क्लिक' पर प्रबीर पुरक्यास्था के साथ बात करते हुए बेजवाड़ा विल्सन का ऑडियो प्रतिलेखन)

15 अक्टूबर, 2016 को 'न्यूज क्लिक' पर प्रबीर पुरक्यास्था के साथ वार्ता करते हुए बेजवाड़ा विल्सन ने कहा कि सिर पर मैला ढोना अमानवीय प्रथा है और बताया कि मैला ढोने के लिए किस प्रकार निचली जाति को मजबूर होना पड़ा है। 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत 12 करोड़ नए शौचालयों का निर्माण होने तक सफाई का काम कर रहे कामगारों को इन शौचालयों को साफ करने का काम भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस समस्या को हल करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है, और इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीक की कमी के कारण इस वर्ग विशेष के लोगों का उत्पीड़न हो सकता है। इस साक्षात्कार का ऑडियो प्रतिलेखन 'उन्नति' के जयंत लायेक द्वारा यहां प्रस्तुत किया गया है।

**साक्षात्कारकर्ता:** न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री बेजवाड़ा विल्सन। वे सिर पर मैला ढोने की प्रथा और उसके कारण उत्पन्न होने वाली अन्य समस्याओं के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। विशेष रूप से वे हमारे द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं, जिनके कारण सेप्टिक टैंक साफ करने वाले कई व्यक्ति मर जाते हैं - उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप शहर में सफाई के लिए जरूरी कामकाज करने और सेप्टिक टैंक साफ करने में हर साल मारे जाने वाले सफाई मजदूरों के आंकड़े प्रदान करते हैं। ये आंकड़े किस प्रकार के हैं?

**बेजवाड़ा विल्सन:** हमारे पास कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं, जो हमें कुछ ताने सुनने के बाद प्राप्त हुए थे। ये आंकड़े संख्या के रूप में नहीं है। ये उदाहरण के रूप में हैं और सुप्रीम कोर्ट के 27 मार्च, 2014 वाले फैसले के बाद के हैं।

**साक्षात्कारकर्ता:** साधारण सफाई कामकाज के खिलाफ आंकड़े और जानकारी?

बेजवाड़ा विल्सन: कचरा, मैला आदि साफ करने के सामान्य कामकाज के बजाय आंकड़ों में तो वास्तव में सरकार को सफाई कामकाज के दौरान होने वाली मौतों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। इन सबके लिए सरकार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देना होता है। जब हमने सरकारी विभागों और मंत्रालयों में जाना शुरू कर किया तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि किसी भी विभाग या मंत्रालय के पास इस बारे में कोई विवरण नहीं था। तब हमने जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार, यह संख्या 1,370 है। हमने दो वर्ष में जो विवरण एकत्र किया, उसे मंत्रालय को सौंप दिया। यह संख्या बहुत कम है और यह पूरी नहीं है।

**साक्षात्कारकर्ता:** आपने इतने आंकड़े एकत्रित किए हैं, लेकिन वास्तविक आंकड़े काफी ज्यादा हो सकते हैं। इनमें बहुत से लोग नगर निगम के स्थायी कर्मचारी नहीं है। कई लोग अनुबंध या आकस्मिक श्रमिक के रूप में काम करते हैं?

**बेजवाड़ा विल्सन:** देखो, नगर निगमों में सीवर सिस्टम है। अधिकांश महानगरों में नगर निगमों में सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाले कर्मचारी स्थायी हैं। लेकिन काफी मजदूर अनुबंध पर भी होते हैं अथवा कई बार घर मालिक निजी सफाई मजदूरों से सफाई करवाते हैं। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलूर, अहमदाबाद आदि जैसे बड़े शहरों में नगर निगमों से सीधे जुड़े कर्मचारियों की संख्या कुछ कम नहीं है। स्थायी कर्मचारियों की संख्या भी काफी है।

**साक्षात्कारकर्ता:** आपकी राय में, इस पूरी समस्या की तरफ लोगों की उदासीनता काफी अधिक है। क्या आपको लगता है कि जो लोग (वर्ग) सफाई काम से जुड़े हैं, उसकी वजह से लोग इस मुद्दे के बारे में असंवेदनशील हैं? क्या लोगों की असंवेदनशीलता सफाई कर्मचारी जिस समुदाय या जाति से आते हैं उसकी वजह से है?

**बेजवाड़ा विल्सन:** देखो, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे देश में सफाई व्यवस्था जाति आधारित है। सफाई करने वाले समुदाय को अछूत माना जाता है। यह देखकर लोगों को आश्चर्य होता है कि अछूत संगठित हो रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सफाई करने में गलत क्या है? यह तो उनका काम है। और तो और हमारे अपने समुदाय के लोगों का मानना है कि वे इस जाति में पैदा हुए हैं, अतः यही उनका काम है। उनकी राय में, दूसरा कोई काम करना उनके लिए मुश्किल है। अन्य काम की तुलना में यह काम उन्हें आसान लगता है। इस प्रकार, समाज में दो तरह के दृष्टिकोण हैं। चिंता की बात यह है कि यह काम बिना बाधा के चल रहा है, इसलिए सरकार भी इस सम्बन्ध में विचार नहीं करती है।

**साक्षात्कारकर्ता:** समस्या के बारे में हम नहीं सोचते, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या जाति आधारित दृष्टिकोण की जड़ें लोगों के मन में गहराई तक उतर गयी हैं। इसलिए, क्या हमारे देश में इस प्रकार की मल-निपटान प्रणाली को ध्यान में रखकर शहरों का निर्माण हुआ है और नगरों की योजना बनी है। जबकि दुनिया के अन्य देशों में ऐसा नहीं है। अन्य देशों में, शहरी क्षेत्रों में 'स्यूअर्स' सीवरेज व्यवस्था होती है। अन्य देशों के शहरी क्षेत्रों में सीवरेज की सफाई के दौरान निधन होने की घटनाओं के बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है। शायद, जाति के पीछे के अपने उन्माद की वजह से हम इन समस्याओं को देखना नहीं चाहते।

**बेजवाड़ा विल्सन:** हम नजर नहीं डालना चाहते हैं और दूसरी बात यह है कि इस देश में कुछ खास समुदाय के व्यक्तियों के मरने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारी मानसिकता इस तरह की है कि हमारी प्राथमिकताएं व्यक्ति-व्यक्ति के साथ बदल जाती हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन वह जीवन किस व्यक्ति का है, किस समूह, किस वर्ग, किस जाति के व्यक्ति का है - यह बहुत महत्वपूर्ण है।

**साक्षात्कारकर्ता:** क्या इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद -21 में जीवन का अधिकार होने के बावजूद सभी लोगों का जीवन एक जैसा अमूल्य नहीं है?

**बेजवाड़ा विल्सन:** वे सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं कहना चाहते कि - सब समान नहीं हैं। सार्वजनिक रूप से वे ऐसा कहेंगे कि सभी लोग बराबर हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग अधिक बराबर हैं। इसलिए, लोग कभी भी इस समुदाय को पूरे समूह का एक हिस्सा ही नहीं मानते। सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान सफाई कर्मचारी की मौत हो जाए, तो उनके मन में पहला विचार यह आता है कि कितना मुआवजा देना पड़ेगा। जब देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की बातें हो रही हों, तो किसी व्यक्ति को इस तरह क्यों अपनी जान गंवानी पड़े? इसके अलावा, लोग अपना बचाव करते हैं कि जब सीवेज या टैंक की सफाई जरूरत होती है, तब सफाई कर्मचारी आकर काम कर जाता है। वह खुद ही काम करने को तैयार हुआ था और दुर्घटना में उसकी जान चली गई। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हम स्पष्ट करते हैं कि यह दुर्घटना नहीं है, जानबूझकर हमें सीवेज टैंक में उतार कर मौत के मुंह में धकेला जाता है। आपने उचित व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण हमारी मौत होती रहती है। यही कारण है कि मैं कह रहा हूँ कि आप हमें मौत के मुंह में धकेलते हैं। अब, आपको हमारे लिए किसी भी प्रकार की सहानुभूति और दया दिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि, हमें अब इस समस्या का राजनीतिक समाधान चाहिए।

**साक्षात्कारकर्ता:** तो क्या यह लोगों की सहानुभूति और करुणा हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए लड़ाई है?

**बेजवाड़ा विल्सन:** हमें सहानुभूति और दया की जरूरत नहीं है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी समाज पर डालने के बजाय, सरकार को निर्णय लेना चाहिए। सरकार हमेशा कहती रही है कि यह एक सामाजिक समस्या है। नहीं, यह सामाजिक समस्या नहीं है। जाति प्रथा सामाजिक समस्या नहीं है। जाति व्यवस्था का उद्भव भले ही सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा रहा हो, लेकिन इसका समाधान राजनीतिक हस्तक्षेप से ही होना चाहिए।

**साक्षात्कारकर्ता:** स्वच्छ भारत के मुद्दे पर बात करें, तो सरकार ने इस अभियान के तहत 10 करोड़ शौचालय बनाने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार पैसे भी देती है, लेकिन क्या शौचालय में पर्याप्त पानी की सुविधा पर जोर दिया जा रहा है? क्योंकि, अगर पानी की सुविधा नहीं है, तो फिर से मैला उठाने की प्रथा को दोहराया जाएगा। इस संदर्भ में, स्वच्छ भारत कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है?

**बेजवाड़ा विल्सन:** 2 अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी। इस घोषणा से बने माहौल से ऐसा लगता था कि अब से प्रधानमंत्री सहित भारत का हर नागरिक स्वच्छता और सफाई के काम में शामिल हो गए हैं। यह काम वंशानुगत या जाति आधारित नहीं है। शौचालयों का निर्माण कोई बड़ी बात नहीं है। देश में लंबे समय से यह काम पहले से ही चल रहा है। 35 वर्ष पुराना यह आंदोलन समाधान आने से पहले ही समाप्त हो गया, लेकिन यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार 2019 तक 12 करोड़ शौचालय बनाये जाएंगे। इस समय, ऐसे सैकड़ों शौचालय हैं, जहां ठीक से व्यवस्था नहीं हैं। हमारी सीवरेज प्रणाली की भी योजना ठीक नहीं है। इसी कारण से गटर की सफाई करते समय सफाई कर्मचारियों की मौत हो जाती है। इसमें अब 12 करोड़ नए शौचालयों जोड़े जाएंगे। इसका सीधा अर्थ यह होता है कि भूजल निकास की व्यवस्था मौजूद नहीं होने से आप 12 करोड़ सेप्टिक टैंक का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो एक बड़ा सवाल यह है कि लोगों के पास शौचालय के लिए स्थान भी उपलब्ध है या नहीं और सेप्टिक टैंक के लिए जगह है या नहीं। इसके अलावा, इस तथ्य के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि ये सेप्टिक टैंक भविष्य में सफाई कर्मचारियों की मृत्यु का कारण बनेंगे। दूसरा, जगह-जगह पर शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, परंतु पानी की कोई सुविधा नहीं है। देश में कई अन्य सवाल हैं, लेकिन आपने केवल एक समस्या शौचालय का हल दिया है। लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, तब आप शौचालय दे रहे हैं। अपने समुदाय की ही बात करूं तो उनके घरों में पानी की सुविधा नहीं हैं। अब, स्वच्छता की प्राथमिक आवश्यकता पानी तो पूरा दिया नहीं जा रहा है, ऐसी स्थितियों में शौचालय देने से अधिक से अधिक समस्याएं सामना आएंगी। अधिक से अधिक सफाई कर्मचारियों की मौतें होंगी। मेरे दृढ़ विश्वास कि हमें मौत के मुंह में धकेला जा रहा है और वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूरे एक समुदाय का संहार कर दिया जाएगा।

कभी-कभी 'स्वच्छ' शब्द मुझे खुद को शर्मिंदा कर देता है। 'स्वच्छ' शब्द का अर्थ शुद्धता, प्रदूषण मुक्ति आदि निकलता है, इसके मद्देनजर यह अभियान - शुद्ध और प्रदूषण मुक्त भारत का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उसमें सफाई मजदूरों के योगदान का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इस अभियान के विज्ञापन में भी उनके काम का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि, पिछले 4,000 वर्षों से एक समुदाय विशेष सफाई करता आ रहा है, जिस पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया। यह समुदाय, विशेष रूप से इस समुदाय की महिलाएं अब इस काम से बाहर आना चाहती हैं। अब वे सफाई कामकाज नहीं करना चाहती। सरकार द्वारा इस समुदाय का पुनर्वास किया जाना आवश्यक है। लेकिन, सरकार किसी भी प्रकार का पुनर्वास करने को तैयार नहीं है। 2012 और 2013 में सफाई करने वाले समुदाय के पुनर्वास के लिए 570 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे, जबकि इस साल सिर्फ 10 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। सरकार यदि पर्याप्त पैसा नहीं होने का तर्क दे रही हो, तो स्वच्छ भारत के लिए दो लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और इसके बाद अब बजट में करीब 11,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। आपके पास शौचालयों के निर्माण के लिए तो पैसे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए पैसे नहीं हैं।

**साक्षात्कारकर्ता:** इसका मतलब है कि आज जिन समस्याओंें को पैदा किया जा रहा है, उन्हें हल करने के लिए अभी भी उन्हें इस काम में से निकलने नहीं देना चाहते?

**बेजवाड़ा विल्सन:** एक पीढ़ी यह काम छोड़ दे, तो भावी पीढ़ियां यह काम नहीं करेंगी। उदाहरण के लिए, मां यह काम छोड़ दे, तो उसकी बेटियां, बहुएं भी यह काम नहीं करेंगी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि काम छोड़ना इतना आसान नहीं है। यह पिछले 4,000 साल से चली आ रही जाति व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। यह समुदाय मानों बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। हमारे देश में जन्म जाति के साथ जुड़ा हुआ है और जाति व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है। कोई औरत यह काम छोड़ दे, तो वह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वह जाति व्यवस्था के बंधन को तोड़ रही है। पूरी सामाजिक व्यवस्था को बदल कर नई लीक डालने वाली ऐसी औरत का तो वास्तव में सरकार को सम्मान करना चाहिए।

**साक्षात्कारकर्ता:** दूसरी तरफ ऊना और अन्य स्थानों पर जो समुदाय मृत पशुओं का निपटान करता है, वह समुदाय भी बुरी तरह से भेदभाव और अत्याचार का शिकार हो रहा है। इसलिए वह भी अपने काम को छोड़ना चाहता है क्योंकि एक तरफ तो समाज को उनकी सेवाओं की जरूरत है और दूसरी तरफ इसी सेवा के लिए एक समुदाय विशेष गौ हत्या का आरोप लगाकर पीड़ित कर रहा है। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? क्या इस तरह के जबरन व्यवसायों (जाति आधारित या पारंपरिक) के कारण पीड़ित समुदाय व्यापक स्तर पर संगठित होकर अपनी मांगों को बुलंद करेंगे। जैसे आजीविका के लिए जमीन की मांग?

**बेजवाड़ा विल्सन:** बहुत ही सरल बात है कि लोग दोनों बातों को एक दूसरे से विपरीत ले रहे हैं, इसीलिए ऊना के दलित यह नहीं कह रहे कि हम 4,000 साल से आपके मृत पशुओं को उठाते आ रहे हैं, तो अब आप अगले 40 वर्षों तक यह काम करो। अगर उन्होंने कहा होता - बस बहुत हुआ, अब हम यह काम नहीं करेंगे तो आप गुस्सा हो गये होते। बेशक, समाज को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दलित पिछले 4,000 वर्षों से यह काम कर ही रहे हैं, तो अब आपको कम से कम 40 साल यह काम करने का अनुभव लेना चाहिए। लेकिन अब वे कहते हैं कि हमें सफाई का काम नहीं करना। हम आपके मृत पशुओं को नहीं उठाएंगे, इसमें गलत क्या है? यह बिल्कुल उचित मांग है। दलित अपने मृत मवेशियों को उठाने के लिए तो आपसे नहीं कह रहे हैं। वे तो केवल इतना ही कहते हैं, कल से हम सफाई का काम नहीं करेंगे। लेकिन, जातिवादी समूह इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका कारण यह है कि देश की सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। महिलाओं ने सफाई का काम छोड़ा तो उन्होंने कहा कि उन्हें आजीविका चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि आजीविका का साधन है और शहरों में आजीविका का कुछ अन्य साधन हो सकता है। लेकिन हम भी इन मुद्दों को जोड़कर नहीं देखना चाहते। यह लेन-देने का मामला है। हम कहते हैं कि आप हमें दो तो हम आपको देंगे या अपने मामलों की व्यवस्था आप स्वयं करो। हम बस इतना ही कह

रहे हैं।

**साक्षात्कारकर्ता:** क्या पशु गौवंश (गाय) और जाति व्यवस्था के बीच कोई संबंध है?

**बेजवाड़ा विल्सन:** निस्संदेह इन अलग दिखने वाले मुद्दों के बीच एक स्पष्ट संबंध है। समाज में तर्कहीन नियम बनाए जाते हैं और नियमों को सभी लोगों पर लागू किया जाता है। आप दूसरी तरफ यह तर्क स्वीकार करते हो, जिसमें मात्र सोच लेना है कि सभी एक समान हैं ं भले ही एक समुदाय को मौत के मुंह के धकेला जाता रहे।

**साक्षात्कारकर्ता:** क्या समाज में जाति व्यवस्था फिर से लागू करने के लिए गाय का इस्तेमाल किया जा रहा है?

**बेजवाड़ा विल्सन:** हम सभी कहते हैं कि गाय हमारी माता है और यह कहने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन, जब गाय मर जाए, तब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी गौमाता को फेंककर आने के लिए कैसे कह सकता है? यदि वह आपकी माता है तो आपको अपनी माता को अपने पास ही रखना चाहिए और उसकी मृत्यु के समय जो भी क्रिया-कर्म हैं वे आपको ही करने चाहिए। दूसरा, यदि आपकी गाय मर गयी है, तो यह आपका अपना मामला है, लेकिन गाय को ले जाने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते। कोई नागरिक व्यक्तिगत आधार पर इस काम को व्यवसाय के रूप में स्वीकार कर सकता है, लेकिन उसके लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। कोई भी तर्कहीन बात परेशान करने वाली होती है। मेरी राय में, भावी पीढ़ी के बच्चों को इन तर्कहीन और निराधार बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए।

**साक्षात्कारकर्ता:** बेजवाड़ा, न्यूज क्लिक के साथ बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आपके सभी कार्यक्रमों में हम आपके साथ हैं और भविष्य में आपके कार्यक्रमों में शामिल होने में हमें खुशी होगी। आपके साथ इस साक्षात्कार में बहुत आनंद आया। एक बार फिर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

स्रोत: http://newsclick.in/12-crore-new-toilets-who-will-clean-them-bezwada-wilson

गतिविधियाँ

बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के क्षेत्र में कार्यरत 'समर्थन' -सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट को एफटीएस फ्रीडम पुरस्कार

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले प्रमुख स्वैच्छिक संगठन 'सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट - समर्थन' भोपाल को 2016 का फ्रीडम पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2014 में 'समर्थन' ने 'बीबीसी मीडिया एक्शन परियोजना' के क्रियान्वयन में भागीदारी निभाई थी। इसके तहत बंधुआ मजदूरी की बुराई दूर करने के तहत 'मजबूर किसको बोला' नामक रेडियो कार्यक्रम तैयार किया गया था।

बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन करने के लिए लोगों को 'श्रोताओं के समूह' में इकट्ठा करने की समूह पद्धति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। फ्री द स्लेव्ज (एफटीएस) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक एलेक्स वुड्स के अनुसार 'समर्थन' का यह प्रयोग सफल रहा है। यह मजदूरों के अधिकारों और बंधुआ मजदूरी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसकी पहुंच व्यापक है और खर्च की दृष्टि से यह बहुत प्रभावी हस्तक्षेप है। दूरदराज वाले क्षेत्रों में भी 'समर्थन' कार्यरत है। 'समर्थन' की स्थापना 1995 में की गई थी। 'समर्थन' नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने और नागरिक संगठन बनाने में मदद करने के अलावा उनका सशक्तिकरण करके गुलामी प्रथा के खिलाफ संघर्षरत। इसकी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप गरीबी में जीवन गुजारने वाले समुदाय व मजदूर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं इसके साथ-साथ उन्हें गुलामी की ओर ले जाने वाले कारकों के बारे में भी वे जागरूक हुए हैं।

फ्रीडम पुरस्कार से दुनिया भर में गुलामी प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज उठाने वालों और इस क्षेत्र में अभिनव पहल करने वाले व्यक्तियों का सम्मान किया जाता हैं और विश्व में गुलामी प्रथा के खिलाफ चल रहे श्रेष्ठतम कार्यों की सराहना की जाती हैं। पुरस्कार विजेता सफल, सतत व गुलामी-विरोधी अभिनव पहल के लिए मानदंड स्थापित कर रहे हैं। 'समर्थन' के प्रशिक्षित कार्यकर्ता उन जिलों के छोटे गांवों में साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं जहां स्थलांतरण अधिक होता है और दूरदराज व सीमांत समुदायों के साथ चर्चा करते हैं। 'मजबूर किसको बोला' कार्यक्रम में सरल हिंदी में बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, मजदूरों की भलाई, संबंधित कानूनी संरक्षण, गरीबी से मुकाबला, प्रवास, सुरक्षित स्थलांतरण आदि से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है। 30 मिनट के प्रत्येक एपीसोड़ की शुरुआत में बंधुआ मजदूर अपने जीवन के बारे में बताते हैं। 'समर्थन' के आयोजक गुलामी विरोधी पहल और स्थानीय समुदाय के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं। वे ग्रामीणों को एकजुट करने, स्वयं सहायता समूह बनाने, शिकायत दर्ज करवाने के लिए जानकारी प्रदान करते हैं और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में उनके साथ चर्चा करते हैं। ग्रामीण भारत में बंधुआ मजदूरी सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे का हिस्सा बन गयी है। प्रेम बाई के गांव कोया गुंजापुर में लोगों को भोजन और पानी प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए, वे मजबूरी में अमीर किसानों से पैसे उधार लेते हैं और ब्याज का भुगतान नहीं करवाने के कारण बंधुआ मजदूर के रूप में गुलामी करने पर मजबूर हो जाते हैं।

प्रेम बाई कहती हैं, 'मेरे माता-पिता ने कर्ज चुकाने के लिए पूरे जीवन भर मजदूरी की थी। उनकी मृत्यु के बाद, हम गुलामी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को भी बंधुआ मजदूर के रूप में जीवन बिताना पड़ेगा। 'मजबूर किसको बोला!' परियोजना आधिकारिक तौर पर 2014 में पूरी हो चुकी थी, लेकिन 'समर्थन'ने मध्य प्रदेश के गांवों में यह कार्यक्रम प्रसारित करना जारी रखा! 'मजबूर किसको बोला!' के श्रोताओं को प्रश्न या शिकायत के लिए एक मोबाइल नंबर दिया जाता है। इस नंबर पर फोन करके कई लोग गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए ठोस उपायों के बारे में जानना चाहते हैं। एक साल की रेडियो परियोजना के दौरान 200 से अधिक बंधुआ मजदूरों को छुड़वा लिया गया था। 'समर्थन' ने लक्षित जिलों में 'श्रोता वार्ता' बैठक शुरू की है। इन बैठकों में लोग स्थानीय प्रशासन और पुलिस से सीधे शिकायत कर सकते हैं। इस प्रकार 3,000 से अधिक शिकायतें दायर की गयी हैं। अपने अधिकारों के लिए जागरूक और शिक्षित लोगों ने प्रशासन के समक्ष अपने अधिकारों की मांग वाले 5,000 से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए हैं। 'समर्थन' अधिक से अधिक लोगों को मजदूरी में से मुक्त कराने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। 'समर्थन' ने 'मजबूर किसको बोला!' कार्यक्रम प्रेम बाई के गांव में शुरू किया, इसके बाद प्रेम बाई और गांव की नौ अन्य महिलाओं को अपना स्वयं सहायता समूह बनाने की प्रेरणा मिली थी।

प्रेम बाई का कहना है, 'जिसने भी किसानों से पैसा लिया था, उन्होंने अपना कर्ज चुका दिया है। मैंने एक छोटी सी दुकान खोली है। इससे अब मेरी आय शुरू हो गई है। अभी भी कई ग्रामीण बंधुआ मजदूर के रूप में गुलामी भरा जीवन बिता रहे हैं। मेरी बात सुनने के बाद, मुझे आशा है कि वे भी मेरी तरह गुलामी से मुक्त होंगे।' गुलामी को समाप्त करने के लिए लड़ने का साहस दिखाने वाले, अभिनव पहल करने वाले समर्पित संगठनों, कार्यकर्ताओं और गुलामी से बाहर निकले व्यक्तियों का 'फ्री द स्लेव्ज' समय-समय पर सम्मान करता है। हमारे पुरस्कार विजेता सफल, निरंतर गुलामी विरोधी पहल के लिए मानदंड स्थापित कर रहे हैं। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के बारे में लोगों को जानकारी देकर यह पुरस्कार गुलामी उन्मूलन आंदोलन के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। इस साल 'फ्री द स्लेव्ज' ने बंधुआ मजदूरों के उन्मूलन के लिए मापन योग्य अभिनव लागू पहल करने वाले भारत या नेपाल में पंजीकृत संगठनों के लिए नामांकन स्वीकार करने का निर्णय लिया था। पिछले विजेताओं के बारे में जानकारी पाने के लिए वेबसाइट - www.freetheslaves.net/thought-leadership/freedom-awards/ पर जाएँ।

2016 का 'फ्री द स्लेव्ज' पुरस्कार का आयोजन 'पेगासस फ्रीडम फाउंडेशन' से मिली वित्तीय सहायता से किया गया था। 'फ्री द स्लेव्ज' का उद्देश्य गुलामों को मुक्त करवाकर, उनके पुनर्वास में मदद करना और गुलामी की यथास्थिति रखने वाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन लाना है। हम स्थानीय समूहों की साझेदारी के द्वारा सामुदायिककहस्तक्षेप का समर्थन करते हैं, जो लोगों को सतत आजादी प्राप्त करने और किसी भी क्षेत्र की गुलामी प्रथा को दूर करने में मददगार होती है। 'फ्री द स्लेव्ज' दुनिया को   
इस तथ्य से अवगत करवाती है कि बिना गुलामी वाली दुनिया का निर्माण करना संभव है।

लोगों का बजट - **2017-18** के केंद्रीय बजट के लिए प्रस्तावित योजनाएं

- एन. पॉल. दिवाकर, नेशनल ह्मूमन राइट्स कमीशन, एन.सी.डी.एच.आर., नई दिल्ली का ईमेल

प्रिय मित्रो,

कुशल होंगे! जय भीम! जोहार!

विकास और परिवर्तन का नया प्रवाह सतत आकार ले रहा है, जो अनुसूचित जाति उप योजना (एस.सी.एस.पी.) और जनजातीय उप योजना (टी.एस.पी.) के कार्यान्वयन को प्रभावित करेगा। दलितों और आदिवासियों के आर्थिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी-पूरी संभावना है।

विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों से जुड़े दलितों और आदिवासियों की बड़ी संख्या (86 प्रतिशत) नकदी अर्थव्यवस्था पर निर्भर होने के कारण, समाज के इन वर्गों के रोजगार पर नोटबंदी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नकदी लेनदेन पर व्यापक प्रतिबंध के कारण छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों और वेतन के भुगतान में बहुत कटौती की गई है, जिससे लोगों के दैनिक जीवन पर भी असर हुआ है। समग्र परिस्थिति का असली पता तो जनवरी, 2017 के बाद रवि और खरीफ के मौसम के बाद ही लगेगा। हर साल की तरह, हम वित्त मंत्रालय के साथ बजट पूर्व परामर्श प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं। नई दिल्ली में 26 नवंबर को आयोजित इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए एनसीडीएचआर को भी आमंत्रित किया गया है।

हाल में हुए कुछ बदलाव इस प्रकार हैं:

1) योजना और गैर-योजना घटकों का विलय करना।

2) रेलवे बजट को हटा दिया गया है और अब यह सामान्य बजट का हिस्सा रहेगा।

3) राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थान पर राष्ट्रीय विकास एजेन्डे को लागू किया गया है।

4) पंच वर्षीय योजना को हटा दिया गया है और विजन-2022 पेश किया गया है।

5) केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त योजनाओं की संख्या 66 से घटाकर 28 कर दी गयी है।

इन योजनाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

(1) केन्द्रीकृत (कोर-टू-कोर): इन सभी योजनाओं को 'अधिनियम' के रूप में तैयार किया जाएगा और इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा जिसमें एससीएसपी और टीएसपी को भी शामिल किया जाएगा। (2) सरकार के बुनियादी प्राथमिकता क्षेत्र जैसे सर्व शिक्षा अभियान (3) वैकल्पिक - राज्यों के पास लागू करने या नहीं करने का विकल्प रहेगा।

हमने योजनाओं के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अत्यन्त महत्वपूर्ण योजनाओं के अनुरूप जो योजना में शामिल है और जो शामिल नहीं हैं, उन केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के विलय और समेकन पर दलित और आदिवासी समुदायों से संबद्ध कई विशेषज्ञों जैसे डॉ. आर.सी. गांधी, सी.बी.डी.ए., डॉ. नरेंद्र जाधव आदि से सलाह-मशवरा किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा अगले केंद्रीय बजट 2017-18 के लिए सितम्बर 2016 में दी गई रूपरेखा के अनुसार जाधव और श्रीधर की मार्गदर्शिका के अनुसार वित्तीय प्रवाह बनाए रखने वाली योजनाओं के स्वरूप को यहाँ लोगों के लिए बजट में पेश किया जा रहा है।

संकट के इस समय में हमारे समक्ष कई चुनौतियां होने के बावजूद, आइए साथ मिलकर विकास के लिए सभी संभव प्रयास करें। बजट सत्र में अधिनियम की मांग में तेजी लाने की जरूरत है।

शुभकामनाओं सहित,

एन. पॉल दिवाकर, सचिव

स्वाधिकार/एन.सी..डी.एच.आर.

8/1, दक्षिण पटेल नगर, द्वितीय तल, नई दिल्ली - 110 008

मोबाइल: 091-99100 46813

pauldivakar@ncdhr.org.in, Skype ID: pdanamala

Twitter: @paulncdhr, www.ncdhr.org.in

**श्रद्धांजलि**

**अनुपम मिश्र (1948-2016)**

रामचंद्रा गूहा द्वारा 'इन्डियन एक्सप्रेस', 21 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित "The quiet fighter' का अनुवाद

विद्वान पर्यावरणविद् अनुपम मिश्र का कैंसर के कारण 19 दिसंबर 2016 को सवेरे निधन हो गया। वे 68 वर्ष के थे। गोपालकृष्ण गांधी के शब्दों में, 'वे निर्दंभी बुद्धिजीवी थे। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान दिए बिना वे अपने काम को प्रमुखता देते थे।'

राणा दासगुप्ता दिल्ली गए थे, तब उन्हें एक विद्वान पर्यावरणविद् देश की राजधानी के उत्तरी क्षेत्र में घुमाने के लिए ले गए। पर्यावरणविद् ने लेखक को बताया कि एक समय नहरों और टैंकों का जाल, किस तरह दिल्ली की जल व्यवस्था का काम करती थी। अंग्रेजों के आने से पहले यमुना नदी दिल्ली के जनजीवन का केंद्र थी। जल के खेलों के साथ त्यौहार में भी यमुना का बोलबाला रहता था। हालांकि, यह भी सही है कि ब्रिटिश शासन और आजादी मिलने के बाद भी इस नदी को कचरा फेंकने की जगह माना जाता रहा है। अब दिल्ली के दक्षिण में बहने वाली यमुना जैविक और सांस्कृतिक रूप से मृतप्राय हो गयी है। दासगुप्ता को सैर पर ले गए विद्वान ने बताया कि 'आधुनिक शहर की दौड़ में नदी की उपेक्षा की जाती है और इस कारण ही यमुना में गंदगी और प्रदूषण फैल रहा है। लोग यमुना को भूल गए हैं। 'हमारे प्रधान मंत्री को हर साल यमुना में स्नान करना होता, तो यमुना काफी साफ हो गई होती।' दासगुप्ता को यह सब बताने वाले पर्यावरणविद् का नाम था अनुपम मिश्र। मिश्रजी को जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, उतनी नहीं मिलने का कारण उनका सत्ता एवं प्रसिद्धि से दूर रहने का, उनका चुना हुआ विकल्प था। अंग्रेजी भाषा के जानकार होने के बावजूद उन्होंने अपने काम में एकभाषी रहना तय किया। इसके लिए कोई खास कारण भी जिम्मेदार हो सकता है। वे प्रसिद्ध हिन्दी कवि भवानी प्रसाद मिश्र के बेटे थे। इसलिए, हो सकता है कि वे हिंदी साहित्य की विरासत को बनाए रखना चाहते हों।

दूसरा, एक बार हिंदी में लिखने का फैसला करने के बाद, प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए, उस भाषा में डूबना आवश्यक था। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण यह हो सकता है कि वे उत्तर भारत के ग्रामीणों और ग्राम्य जीवन के बारे में लिखते थे। चूंकि ग्रामीण हिंदी भाषा के ही विभिन्न रूपों में बातचीत करते हैं, अत: मिश्राजी के लिए यह अधिक उपयुक्त था कि वे अपनी पुस्तकें और निबंध उसी भाषा में लिखते। 8,00,000 दर्शकों वाली टेड वार्ता को छोड़कर मिश्रजी की अधिकांश रचनाएं हिंदी भाषा में ही हैं। उनके हाल ही के कई लेखन http://www.mansampark.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अनुपम मिश्र की जो पहली पुस्तक मैंने पढ़ी थी (जो शायद लेखक के रूप में उनकी पहली पुस्तक थी) वह बहुत संक्षिप्त थी, लेकिन उसमें चिपको आंदोलन का बहुत ही गहन अध्ययन किया गया था। मिश्रजी और सत्येंद्र त्रिपाठी ने मिलकर यह पुस्तक लिखी थी। 70 के दशक में प्रकाशित यह पुस्तक जहां से चिपको आंदोलन की शुरूआत हुई थी, उस अलकनंदा के घाटी क्षेत्र के गांवों में स्थानीय स्तर पर किए गए कामों पर आधारित थी। पुस्तक में चिपको आंदोलन के नेता चंडीप्रसाद भट्ट के भागीरथ प्रयासों और उनके उद्देश्य पर जोर देने के साथ-साथ आंदोलन की रीढ़ की हड्डी पुरुषों व महिलाओं के योगदान को भी महत्व दिया गया था। 80 के दशक में मिश्रजी ने जल भंडारण और जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने समझाया कि जल भारत और दुनिया के टिकाऊ भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। टेड वार्तालाप में उन्होंने जल को जीवन का केंद्र माना था। किसानों द्वारा ट्यूबवेल से भूजल का अंधाधुंध उपयोग, शहरी लोगों और उद्योगों द्वारा नदियों का प्रदूषण व अन्य तरीकों से पानी का दुरुपयोग देखकर उन्होंने स्वदेशी जल संरक्षण के तरीकों का दस्तावेजीकरण करना शुरू किया। ये पद्धतियां स्थानीय भूमि की देखभाल की समझ पर आधारित हैं। उन्होंने बारिश की नगण्य मात्रा और रेगिस्तान वाले तथा आज भी कुओं और टैंक प्रणाली पर आधारित राजस्थान को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। सालों तक किए गए शोध के आधार पर उन्होंने हिंदी में पर्चों और पुस्तकों की श्रेणियां प्रकाशित की। जिनके शीर्षक थे - 'राजस्थान की रजत बूंदें' और 'आज भी खड़े हैं तालाब'। ये शीर्षक अपने पूर्वजों को पिछड़े मानने वाले और उनकी आलोचना करने वाले आधुनिक मनुष्य को उनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हैं।

मिश्रजी को मैं सिर्फ उनके कार्यों के माध्यम से ही जानता था। मेरी उनसे कभी-कभार ही मुलाकात होती था, लेकिन जब भी मिलना होता था तब वह मुलाकात मेरे लिए प्रेरक बन जाती थी। 80 के दशक में चिपको आंदोलन के बारे में अपने शोध के लिए उनसे सलाह मशविरा करने हेतु मैं उनसे मिला था। 90 के दशक में, जब मैं नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय (एन.एम.एम.एल.) का सदस्य था, तब मैंने मिश्रजी को उनकी पुस्तक 'आज भी खड़े हैं तालाब' के बारे में बातचीत करने के लिए निमंत्रण दिया था। उस दौरान एनएमएमएल अपनी प्रसिद्धि के चरम पर थी और भारतीय बुद्धिजीवियों में काफी महत्वपूर्ण थी। उसे विदेशी विद्वानों का भी समर्थन मिल रहा था। यहां, हिंदी में 'कम में अधिक कह कर' उन्होंने जो भाषण दिया था, वह एनएमएमएल में हुए सबसे दिलचस्प विचार-विमर्श में से एक है। इस बहस की गूँज कई सप्ताहों तक एनएमएमएल के गलियारों में गूंजती रही थी। एक दशक बाद चंडीप्रसाद भट्ट को सम्मानित करने वाली एक कार्यक्रम में मिश्रजी को चंडीप्रसाद भट्ट के कार्यों के बारे में भाषण देते हुए सुना था। केवल पांच या छह मिनट में उन्होंने कुशलतापूर्वक गांधीवादी विचारधारा और सक्रियतावाद के क्षेत्र में भट्ट के योगदान का वर्णन किया था। जब कुछ महीने पहले मुझे उनके कैंसर के बारे में पता चला, तो मैं उनसे मिलने गया था। यह हमारी आखिरी मुलाकात थी। यह स्पष्ट दिख रहा था कि इस बीमारी के कारण उन्हें बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट हो रहा था। फिर भी, उनकी आवाज में कोमलता और गहराई अभी भी बरकरार थी। उनके युवा साथी सोपान जोशी भी हमारे साथ थे। मिश्रजी के हाल के वर्षों के कार्यों की जानकारी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जोशी ने भागीरथ प्रयास किए हैं।

आधुनिक भारत में पर्यावरण आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पाँच लोगों के नाम पूछे जाएं, तो मैं इन व्यक्तियों का नाम दूंगा - चंडीप्रसाद भट्ट, मेधा पाटकर, विज्ञानी माधव गाडगिल, पत्रकार अनिल अग्रवाल और पर्यावरणविद् अनुपम मिश्र। मिश्रजी पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन उपरोक्त पांच व्यक्तियों में सबसे से कम जाने जाते थे। इसका कारण उनके द्वारा चुने हुए विकल्प ही हैं, जैसे - विरोध या विद्रोह के बजाय पुनर्निर्माण करना और अंग्रेजी के बजाए हिंदी में लिखना। अपने गहन लेखन और जीवन के लिए सबसे जरूरी तथा अनिवार्य जल स्रोतों के संरक्षण व संचय के बारे में संवेदनशीलता के क्षेत्र में काम करने के लिए अनुपम मिश्र को हमेशा याद किया जाएगा। इसके अलावा, अपने योगदान का प्रचार किए बिना, पूर्वाग्रह या मानसिकता को आधार बनाने के बजाय, अनुसंधान के आधार पर ठोस काम करने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।

उन्नति

**विकास शिक्षण संगठन**

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोन: 079-26746145, 26733296 फैक्स: 079-26743752 email: sie@unnati.org वेबसाइट: www.unnati.org

**राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय**

650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-342014, राजस्थान

फोन: 0291-3204618 email: jodhpur\_unnati@unnati.org